उनके शहर का सच!

भोपाल में लड़कियों के साथ हो रहे यौन शोषण
का नारीवादी अध्ययन

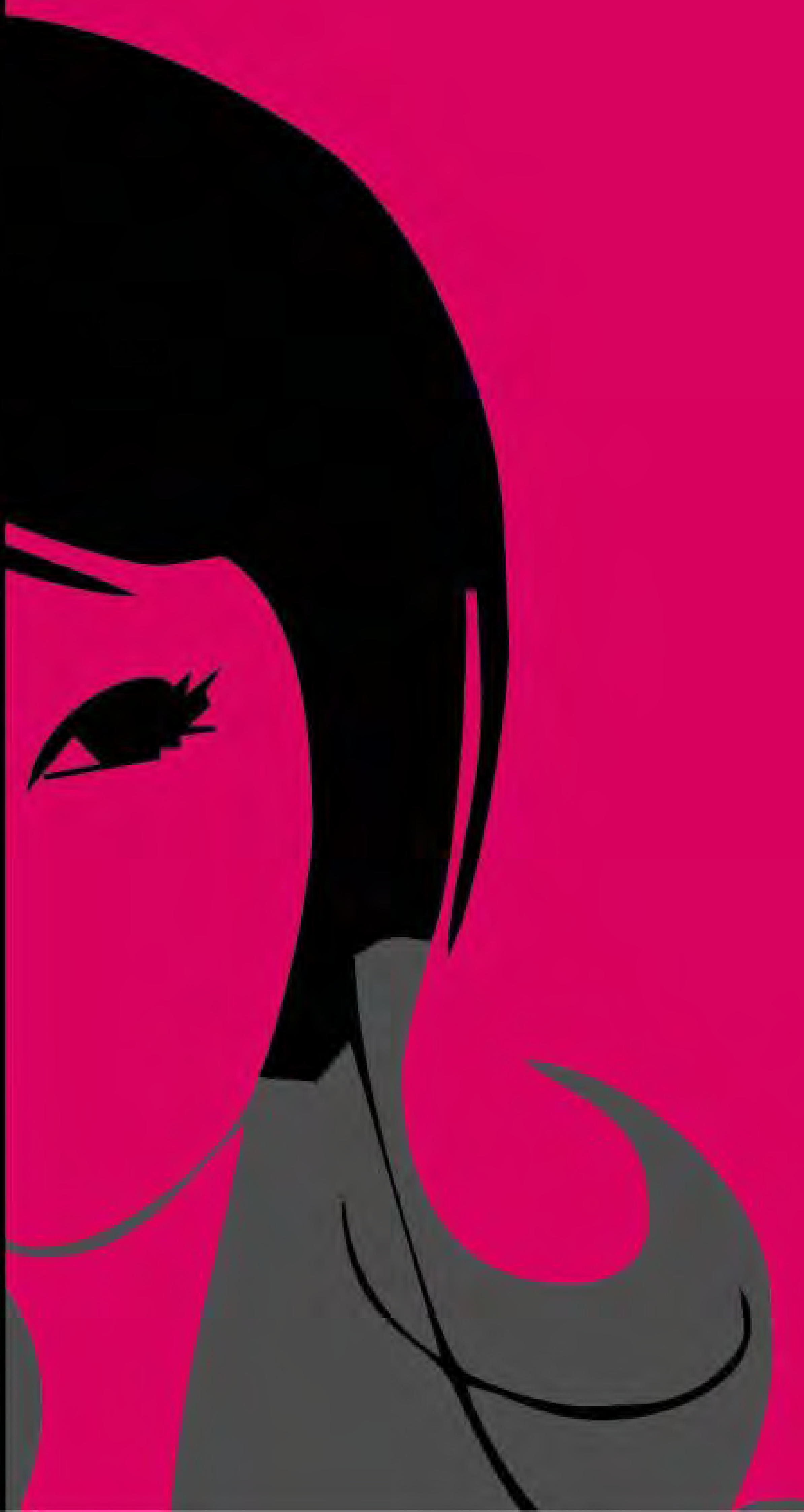

संगिनी जेंडर रिसोर्स सेन्टर

Regarding Study

घरेलू कामगारः कर्तव्य एवं अधिकार मार्गदर्शिका

संगिनी जेंडर रिसोर्स सेन्टर

जी.–3/385 गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल

स्थायी पता– 113, वायसराय पार्क, ई– 8 एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

कंपोजिंग

प्रार्थना मिश्रा

एडिटिंग एवं डिजाइनिंग

अपर्णा दीक्षित, बलजीत सलूजा

चित्र

अपर्णा दीक्षित, ममता चौहान

आभार

शशि, रेखा, मंजू, अनीता, कविता, ममता एवं घरेलू महिला कामगार अधिकार संघ

वित्तीय सहयोग

ग्लोबल फंड फॉर वूमेन

मुद्रक

महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट - 9826364676, 8815105271

सीमित वितरण हेतु, अतिरिक्त प्रति के लिए 100 रुपए सहयोग राशि।

इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकती है।
इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि स्त्रोत का उल्लेख कर सकें तो हमें खुशी होगी।

अनुक्रमणिका

१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१
१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१
१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१
१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१
१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१
२.	भूमिका	०१
१.	आभार	०१
२.	भूमिका	०१

आभार

उन तमाम लड़कियों के शहर का सच सामने लाना आसान नहीं था। जिनकी अभिव्यक्ति को हमेशा ही दबाया गया है। ये अकेले संगिनी के बस की बात भी नहीं थी। इसके लिए संगिनी सबसे पहले उन लड़कियों की आभारी है जिनके साहस और सहयोग के बिना ये अध्ययन संभव नहीं था। संगिनी का अनुभव व उसके साथियों की कड़ी मेहनत भी आभार की हक़दार है। जिन्होंने शोध की नींव रखी और इसे पूरा करने में संगिनी की मदद की। आभार के इस क्रम में हम ग्लोबल फंड फॉर विमेन के वेशेष तौर पर आभारी हैं। जिन्होंने इस अध्ययन हेतु हमारी आर्थिक मदद की।

नारीवादी सिद्धान्तों का भी संगिनी आभार व्यक्त करना चाहती है। जिनसे हमें वो नज़र मिली कि हम अध्ययन में लड़कियों को प्रतिभागी के तौर पर देख पाएं। आभार के इस क्रम में संगिनी अध्ययन रपट प्रस्तुतीकरण में शामिल सभी प्रतिभागियों की भी आभारी है। जिनके सुझावों से हमारी रपट समृद्ध हो पाई। शहर के मीडिया का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिन्होंने नतीजों को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत कर रपट को विस्तार दिया।

अध्ययन के विभिन्न बिंदुओं पर असहमति जताने वालों के भी हम आभारी हैं। जिनकी आलोचनात्मक नज़र ने हमारे अध्ययन को और ज्यादा पैना व मजबूत किया। आभार की हक़दार संगिनी की पूरी शोध टीम भी हैं। जिनकी निरंतर मेहनत के बिना ये अध्ययन संभव नहीं था। संगिनी जेंडर रिसोर्स सेंटर खुद को भी आभार व्यक्त करना चाहता है। सेंटर के काम और चिंताओं ने ही अध्ययन को आधार दिया। दुनिया की तमाम संघर्षशील लड़कियों के हम विशेष तौर पर आभारी हैं जिनकी हिम्मत और अनुभवों से ही इस तरह के अध्ययन उपजते और आगे बढ़ते हैं।

भूमिका

जाने दो। कोई बात नहीं। ऐसा तो होता ही रहता है। अगर कुछ बोली तो तुम्हारी ही बदनामी होगी किसी का कुछ नहीं जायेगा। यही नसीहतें तो मिलती है जब कोई लड़की अपने साथ होने वाले यौन शोषण की शिकायत करती है। ये तो उनके लिए जो शिकायत कर पाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कितनी लड़कियां इस तरह की घटनाओं की शिकायत कर पाती हैं। वज़ह, उनका समाजीकरण व स्त्री–पुरुष गैरबराबरी पर खड़ा सामाजिक ढांचा है। जिसके तहत वो इसके लिए विरोध करना तो दूर उल्टा खुद को ही जिम्मेदार मानती हैं। व्यवस्था भी बार–बार अलग–अलग तरह से उनकी इस सोच को पक्का करती है। नतीज़तन, इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर ही नहीं पूरे जीवन पर दिखाई पड़ता है।

संगिनी ने अपने काम के दौरान लड़कियों की इस दिक्कत को महसूस किया। हमनें तमाम बार उनसे बात करते हुए उनके इस दर्द को समझा और साझा किया। दुखद था कि लड़कियां इस बारे में किसी से कुछ भी बताने में डरती हैं। उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनकी व उनके परिवार की इज्ज़त को खतरा है। कुछ का कहना है कि बताने से भला क्या होगा। ये तो आम बात है सबके साथ होता है। पहले तो उनके साथ आए दिन होने वाले इस यौन शोषण को कोई बड़ी बात माना ही नहीं जाता और अगर कहीं इस तरफ ध्यान दिया भी गया तो रवैया बेहद समझौतावादी है। जिसके तहत अंततः लड़कियों को ही जूझना पड़ता है।

ऐसे में लड़कियों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जहां वे खुलकर अपने आपको अभिव्यक्त कर पाएं। हिंसा व उनके खिलाफ होने वाली गैरबराबरी का विरोध बिना किसी डर के कर पाएं। सबसे बड़ी जरूरत है। इसी जरूरत को महसूस करते हुए संगिनी ने राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस लघु शोध अध्ययन की नींव रखी। जिसका उद्देश्य भोपाल शहर में लड़कियों के साथ काम करने हेतु एक व्यवस्थित रणनीति विकसित करना है।

इस शोध की जरूरत संगिनी तब से महसूस कर रही थी जब हमनें शहर की बस्तियों में लड़कियों के साथ काम शुरु किया। लेकिन इसकी शुरुआत 25 नवंबर से हुई। इसे इत्तेफाक नहीं व्यवस्था से उपजा हिंसा का वीभत्सतम ज्वार ही कहेंगे जिसने 16 दिसंबर को दिल्ली रेप कांड का रुप लिया। यह भीतर तक हिला देने वाली यौन हिंसा का कहर था। जो सिर्फ पैरामेडिकल की छात्रा पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बरपा।

इसके बाद से लगातार इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वर्मा कमेटी की अनुशंसाएं आ चुकी हैं। संशोधनों के बाद तमाम मान भी ली गई हैं। एंटी रेप बिल आ चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई तस्वीर बदली है। इसके बाद भी प्रदेश भर में लगातार लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे कुकृत्य हो रहे हैं। लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उनके शाम के ट्यूशन छूट रहे हैं। वे वापस सलवार कमीज़ में बाहर निकल रही हैं। इस पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग इस तरह की बयानाजी कर रहे हैं। जो उल्टा लड़कियों को ही कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। कुल मिलाकर पूरी तैयारी बहुत मुश्किल से कुछ एक कदम बढ़ा पाई लड़कियों को फिर से वापस खींचने की है।

ऐसे में लड़कियां रास्तों पर चलते, स्कूल कॉलेज जाते-आते, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों के यहां क्या वाकई महफूज महसूस करती हैं। इन्हीं सवालों के साथ संगिनी ने इस लघु शोध अध्ययन की नींव रखी। प्रस्तुत शोध को हमनें दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हमनें पुरुषवादी हिंसा की केन्द्रीयता की पड़ताल का प्रयास किया है। दूसरे हिस्से में शहर की लड़कियों से बात कर उनके अनुभव जानने की कोशिश की है। वे हिंसा को किस तरह देखती हैं। उनके हिसाब से शहर में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति हैं। वे शहर के किन इलाकों को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें परेशान करने वाला कौन था। वे अपने लिए शहर, समाज, परिवार व सरकार से क्या चाहती हैं। इन्हीं सवालों के जवाब की पड़ताल में यह शोध आगे बढ़ता है। जिसका उद्देश्य अंततः स्थितियों को समझ इस तरफ अपने प्रयास सुनिश्चित करना है।

अध्ययन की पद्धति, सीमा, क्षेत्र एवं उद्देश्य

अध्ययन पद्धति– शोध का मकसद तमाम शोधों में एक नया शोध जोड़ना भर नहीं। हमारा इरादा बदलाव का है। शोध के नतीज़ों की मदद से हम समाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस परिवर्तन की तस्वीर हम स्त्री–पुरुष बराबरी के आईने में दखते हैं। गैरबराबरी पर आधारित समाज पर चोट और इसमें बदलाव हमारा अहम उद्देश्य है। यही वज़ह है कि प्रस्तुत शोध नारीवादी शोध पद्धति के आधार पर किया गया है।

नारीवादी शोध पद्धति– नारीवादी शोध पद्धति तीन तरह से सामाजिक विज्ञान शोध पद्धति से अलग है। पहला– यहां शोधकर्ती या कर्ता और जिसके साथ शोध किया जा रहा है उनके बीच सत्ता संबंध नहीं होते हैं। दूसरा– ये शोध पद्धति सामाजिक गैरबराबरी को खत्म करने की

राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होती है। तीसरा– यह महिला के नज़रिए व अनुभव के आधार पर की जाती है।

- **सत्ता संबंधों का अस्वीकार**– सत्ता संबंधों का अस्वीकार नारीवादी शोध पद्धति की पहली शर्त है। इसके तहत शोधकर्ती या कर्ता सामने वाले पर शोध नहीं करती या करता। बल्कि उसके साथ शोध करती या करता है। साफ है शोध की प्रक्रिया को गैरबराबरी से समानता की तरफ ले जाना प्रक्रिया की पहली कोशिश होती है। यही वज़ह है कि प्रक्रिया में जिस पर शोध किया जा रहा है, उसे सिर्फ शोध का पात्र न मानते हुए प्रतिभागी माना जाता है।
- समाज विज्ञान शोध पद्धति की तरह यहां शोध पर पूर्णतया शोधकर्ती का अधिकार नहीं होता। प्रतिभागी को उसके खुद के अनुभवों का विशेषज्ञ व अधिकारकर्ता माना जाता है। यह प्रविधि शोध को प्रतिभागी के शब्दों के साथ लिखने पर जोर देती है, न कि शोधकर्ती की भाषा में। ज्ञान पर यहां एक मात्र शोधकर्ता का ही अधिकार नहीं।
- शोधकर्ती का अपना सामाजिक परिवेश, जाति, वर्ग, आयु शोध को प्रभावित कर सकते हैं। जरुरी है कि शोध के समय वो खुद को भी अलोचनात्मक रुप से परखता चले। जिससे शोध उसकी खुद की स्थितियों व पूर्वाग्रहों से प्रभावित न हो। इसके अलावा शोधकर्ता को समाज

विज्ञान पद्धति से इतर यहां अपनी शोध टीम के कार्य व सहयोग का उल्लेख करते हुए उनके साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए। नारीवादी शोध का उद्देश्य किसी एक की नज़र से समस्या को देखना व समझना नहीं। बल्कि यहां हर एक की नज़र व अनुभव महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसका उद्देश्य उस ज्ञान का अर्जन है जो बदलाव में सहयोग करे।

- **गैरबराबरी को ख़त्म करने की विचारधारा से प्रेरित**– नारीवादी शोध सिर्फ शोध करने के लिए न हो। महिलाओं के साथ किए गए शोध का उद्देश्य उनकी स्थिति में परिवर्तन सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि एक स्थापित पुरुषवादी नज़रिए की पुर्नस्थापना करना। ऐसा नहीं कि शोधकर्ता अपने अन्वेशषण को ईमानदारी के साथ न करे लेकिन उसका मकसद परिवर्तन होना चाहिए। नारीवादी शोध महिलाओं के बारे में नहीं महिलाओं के लिए है। शिक्षाविद् कृष्ण कुमार के शब्दों में विषमता पर आधारित समाज में समानता विषमता को बढ़ाती है। इन अर्थों में नारीवादी शोध का मकसद महिलाओं की पक्षधरता है।

- नारीवादी शोध प्रतिभागी की चेतना को जगाने का काम भी करता है। यहां प्रतिभागी खुद को अभिव्यक्त करने की, खुद से सवाल करने की और अपने अनुभवों से सीखने की आज़ादी महसूस करती है। यह शोध उन्हें खुद के अनुभवों को समाज से जोड़कर देखने का मौका देता है।

- **महिला की नज़र से (स्टैंड प्वॉइंट इपेस्टेमोलॉजी)**– इस शोद्ध पद्धति का मकसद स्त्री को शोध में जोड़ना या एक वैरिएबल की तरह देखना भर नहीं बल्कि उसकी स्थिति व नज़रिए को शोध के आधार के तौर पर स्थापित करना है। जहां से शोधकर्ता या कर्ता शोध में स्त्री के अनुभव, विचार व आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ता है।

अभी तक अर्जित ज्ञान में या तो महिलाएं गायब हैं और अगर हैं भी तो उन्हें पुरुषवादी नज़रिए से देखा गया है। ऐसे में नारीवादी शोध पद्धति का मकसद ज्ञान को महिलाओं के नज़रिए से देखना है। स्त्री के लुप्त हो चुके या विकृत रुप से पेश किए गए अनुभव को नारीवादी नज़रिए से देखना शोध की नींव है। महिलाओं की स्थिति, चिंताओं, अनुभव व नज़रिए को आधार बनाकर नारीवादी शोध उन्हीं के शब्दों के साथ आगे बढ़ता है।

हालांकि नारीवादी शोध प्रविधि की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। पहली तो यही कि नारीवादी शोध की अभी कोई तय पद्धति नहीं है। ये एक बनती हुई शोध पद्धति है। दूसरा शोधकर्ती या कर्ता के अपने पूर्वाग्रह व स्थितियां उसे प्रभावित करती ही हैं। कई बार नारीवादी शोध के तहत गैरबराबरी को ख़त्म करने का मकसद बाहरी कारणों से प्रभावित होने लगता है। जिससे शोधकर्ती या कर्ता अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। शोधकर्ती या कर्ता को प्रतिभागी के साथ स्वतंत्र रुप से बात करने का मौका न मिल पाना भी शोध की सीमा है।

शोध की सीमाएं– प्रस्तुत शोध का क्षेत्र भोपाल शहर तक सीमित है। वज़ह सीमित संसाधन व समय की कमी रही। शोध की भाषा को मुख्यधारा के मानकों के अनुसार कमजोर भाषा कहा जा सकता है। लेकिन ये जानबूझ रखी गई है क्योंकि महिलाओं की भाषा उनके अनुभव जगत की भाषा है। शोध नारीवादी अध्ययन पद्धति के आधार पर किया गया है। मुख्यधारा की शोध पद्धति के अनुसार यह भी शोध की सीमा हो सकती है।

शोध का क्षेत्र– शोध के तौर पर भोपाल को चुना गया है। इसमें शहर की 12 से 35 वर्ष की लड़कियों को लिया गया है। ये सभी तरह की जाति, वर्ग व समुदाय से आती हैं। इनमें अध्ययनरत, कामकाजी व किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी सभी तरह की महिलाएं शामिल हैं। अध्ययन में हमनें शहर के अलग–अलग इलाकों से लड़कियों से बात की है।

शोध का उद्देश्य– इस लघु शोध प्रबंध का वृहद स्तर पर उद्देश्य लड़कियों के साथ काम करने हेतु एक व्यवस्थित रणनीति का विकास है। इसके तहत इस शोध के उद्देश्य–

- लड़कियों के अनुभव व दिक्कतें साझा करना।
- शहर में सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर जानना।
- सामाजीकरण व व्यवस्था को लड़कियों की नज़र से देखना।
- न्याय व्यवस्था व प्रशासन का यौन शोषण की घटनाओं पर रुख व रवैया।
- पुलिस व हेल्पलाइन के लड़कियों की मदद के लिए प्रयास।
- शहर के असुरक्षित स्थान।
- यौन शोषण की घटनाओं को लेकर चली आ रही अवधारणा का मूल्यांकन।

पुरुषवादी हिंसा की केन्द्रीयता

समाज में महिलाओं के ख़िलाफ पुरुष की हिंसा को न केवल स्वीकारा जाता है बल्कि उसकी आलोचना भी होती है। इसके बावजूद पुरुषवादी हिंसा की जड़े कहां हैं। ये एक अहम सवाल है। बलात्कार, तानाकशी, छेड़खानी, राह चलते और कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न सभी तरह की पुरुषवादी हिंसा के केन्द्र में खड़ा पुरुष स्वयं कहां और किस तरह से संचालित है। इस पर सोचना होगा। इस संबंध में अगर समाज में प्रचलित धारणाओं का जिक्र करें तो ऐसा माना जाता है कि यह कुछ ख़ास किस्म के तथाकथित बुरे पुरुषों का महिलाओं पर उत्पीड़न है। उनके इस बुरेपन की वज़ह को बचपन के अनुभवों या फिर समाज में व्याप्त वर्ग आधारित गैरबराबरी में तलाशा जाता है। पुरुष का पुरुष होना भी हिंसक होने की वज़ह माना जाता रहा है। यह तमाम मान्याताएं हिंसा की एक वजह तो हो सकती हैं लेकिन जड़ नहीं।

महिलाओं के खि़लाफ होने वाली हिंसा को अगर समझना है तो इसकी पड़ताल आदमी-औरत के समाजिक संबंधों में करनी होगी। इस क्रम में प्रचलित धारणाओं को खंगालते हुए पितृसत्तात्मक समाज की राजनीति को समझना जरुरी है। साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में वैश्वीकरण की आंधी के बीच पितृसत्ता किस तरह से अपने व्यवहार में क्रूरतम हो जाती है। आधुनिकीकरण के नाम पर यह बहकावे का एक जाल बुनती है जिसमें सबसे बुरी तरह से स्त्री ही फसती है। इस पूरी बहस को दो बिंदुओं के अंर्तगत समझा जा सकता है-

-पुरुष हिंसा क्यों करता है।

-पुरुषवादी हिंसा को पोषण कहां मिलता है।

पुरुषवादी हिंसा का केन्द्र

समाज में पुरुषवादी हिंसा की केन्द्रीयता को तलाशने के लिए प्रचलित धारणाओं का जिक्र करते हुए इनके अलोचनात्मक पक्षों पर गौर करना जरूरी है। इसके बाद ही पितृसत्तात्मक राजनीति को समझा जा सकता है। ये धारणाएं इस तरह हैं-

उदारवादी इस धारणा के अंतर्गत पुरुष हिंसा के कारणों की खोज मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में की जाती है। इस दिशा में वेस्ट, रॉय और निकोलस का काम(1978) महत्वपूर्ण है। इनका तर्क है कि हिंसक वे पुरुष होते हैं, जो सामान्य रुप से विकसित नहीं होते। इस असामान्य विकास का कारण उनके बचपने के बुरे अनुभव हैं। उदावादी कहते हैं कि इन बुरे अनुभवों ने ही उनकी मर्दानगी को अविकसित छोड़ दिया। बाद में ये पुरुष स्त्रियों के साथ सामान्य व्यवहार करने में असमर्थ हो गए। इन सबका परिणाम दोषपूर्ण व्यक्तित्व बनकर उभरा। जिसने लंबे अवसाद को जन्म दिया और यही यौन हिंसा के रुप में निकला।

इस धारणा की आलोचना करते हुए ये कहा गया कि ज्यादातर हिंसाकर्ताओं की न्यायालय मानसिक चिकित्सा जरुरी नहीं समझता। हिंसाकर्ता मनोरोगी हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंसाकर्ता अनिवार्यत: मनोरोगी भी हों ऐसा सच नहीं। इसके अलावा गेलेस (1972) के अध्ययन में ये भी सामने आया कि ऐसे सभी पुरुष जो अपनी पत्नियों को पीटते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवारों से नहीं आए। इसका उल्टा भी उतना ही सही था। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह धारा पुरुषवादी हिंसा का एक पहलू तो दर्शाती है, उसका केन्द्र नहीं।

वर्ग विश्लेषण इस धारणा के मुताबिक वर्ग पदानुक्रम में नीचे होना पुरुष को स्त्री के प्रति हिंसक बनाता है। जिसकी वजह परिस्थितिजन्य अवसाद है। वर्ग विश्लेषण की धारणा को दो तरह से समझा जा सकता है–

सामान्य व्याख्या

उपसांस्कृतिक व्याख्या

सामान्य व्याख्या के तहत एलिजाबेथ विलसन मानती हैं कि महिला के ख़िलाफ पुरुष की हिंसा का कारण आर्थिक दबाव है। बेरोजगारी और कमी की स्थिति में वर्ग पदानुक्रम में नीचे का पुरुष अवसाद में आ जाता है और इस अवसाद में वह अपने सबसे करीबी पर अपना रोष निकालता है। National Commission on Causes and Prevention of Violence(US) की रपट पर नज़र डाले तो जिन परिवारों की आमदनी .6000 से कम है, वहां की महिलाएं दूसरी महिलाओं से तीन से पांच गुना ज्यादा पिटती हैं।

उपसांस्कृतिक व्याख्या के मुताबिक वर्ग पदानुक्रम में नीचे के पुरुष मुख्य संस्कृति से अलगाव के कारण अपनी एक उपसंस्कृति बना लेते हैं (आमिर 1971)। इस तरह जब इनके लिए मुख्य संस्कृति के मूल्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, तब ये अपने मूल्य गढ़ते हैं। इस क्रम में ये शारीरिक श्रेष्ठता को मूल्य के तौर पर शामिल करते हैं। इस तरह हिंसा की एक उपसंस्कृति का जन्म होता है। इसकी स्थापना के लिए आमिर ने पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हिंसाकर्ताओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और जातीयता का हवाला दिया।

इस धारा की खास बात यह है कि यह हिंसा के कारणों की तलाश समाज में करती है. इसके बावजूद कई बिंदुओं पर इसकी आलोचना हुई है–

- ये ब्योरा उन घटनाओं का है जो दर्ज हुई। लेकिन ज्यादातर मामले पुलिस रिकॉर्ड में हैं ही नहीं। जो मामले दर्ज हुए भी उन्हें भी एक सवर्ण पुलिसकर्मी किस तरह से लेता है यह भी देखना होगा।
- इस धारा की दूसरी बड़ी आलोचना यह है कि अवसाद ग्रस्त पुरुष अपने वर्ग या जाति के पुरुष प्रतिद्वन्दी पर हमला क्यों नहीं बोलता।
- अगर यह मान भी लें कि वर्ग सरंचना में निम्नतम होना पुरुष को हिंसक बनाता है तो महिला को और ज्यादा हिंसक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है।

उग्र नारीवाद–इस धारा के अंतर्गत ब्राउन मिलर(1976) का काम महत्वपूर्ण है। वे मानती हैं कि पुरुष के स्त्री पर नियंत्रण का आधार ही हिंसा है। इसके तहत हिंसा व यौनिकता दोनों समाज रचित हैं। अपनी बात की स्थापना के लिए वे फिल्मों व गानों का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि किस तरह यहां हिंसक व्यवहार की मदद से पुरुष को एक हीरों की तरह स्थापित किया जाता है। यही वज़ह है कि पुरुष हिंसा भी इसी हीरोइज़्म में करता है।

ब्राउन मिलर की आलोचना दूसरे उग्र नारीवादियों की तरह ही उनके जैविक तत्व के कारण होती है। सवाल ये भी है कि क्या हिंसा जैविकीय बनावट का नतीजा है या व्यक्तिगत व्यवहार का।

नारीवादी द्रष्टिकोण–नारीवादियों का मानना है कि पुरुष स्त्री पर नियंत्रण स्थापित करने के

क्रम में हिंसा करता है। इसकी वजह पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष सत्ता को न केवल स्थापित करता है बल्कि हिंसा को बढ़ावा भी देता है। इस समाज में स्त्री पुरुष की मलकियत समझी जाती है, जिस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो हिंसा पर उतारु हो जाता है। मर्दानगी की इस संस्कृति में नायक भी वही है जिसे हिंसा करना आता है।

अतः सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषण के तहत हमें पुरुष हिंसा की जड़े समाज के संरचनात्मक ढांचे में खोजनी होंगी। जिसमें परिवार, समुदाय, धर्म व राज्य शामिल हैं, जहां पितृसत्ता के बीज पनपते हैं। यहीं पर पुरुष हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

हिंसा की केन्द्रीयता को तलाशती विभिन्न धाराएं-

धारा	हिंसा का केन्द्र	वजह
उदारवादी	मनोविज्ञान	बचपन के बुरे अनुभव
वर्ग विश्लेषण	सामाजिक पदानुक्रम	बेरोजगारी, कमी
उग्र नारीवाद	जीव विज्ञान	शारीरिक क्षमता
नारीवादी	सामाजिक संरचना	पितृसत्तात्मक संस्कृति

पुरुषवादी हिंसा का पोषण

सामाजिक संरचना में पुरुष हिंसा की केन्द्रीयता तलाशते ही हमारी नजर इसके संस्थानों पर जाती है। इस क्रम में परिवार, धर्म, समुदाय, कानून व राज्य की भूमिका, आधार व व्यवहार को समझना जरूरी है। इस विश्लेषण से पहले हिंसा क्या है यह जान लेना भी बेहद जरुरी है।

SNDT विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन शोध केन्द्र के अनुसार शक्ति को महसूसने और सिद्ध करने के क्रम में प्रतिरोध की तकनीक के तहत अपनी इच्छा दूसरे पर थोपना ही हिंसा है।

इस परिभाषा को आधार बनाकर विश्लेषण करें तो ये तमाम संस्थाएं न केवल पुरुष हिंसा को जन्म देती हैं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत इनके भीतर इसे पोषण भी मिलता है।

पुरुष हिंसा के पोषकों को दर्शाता शक्ति-नियंत्रण चक्र

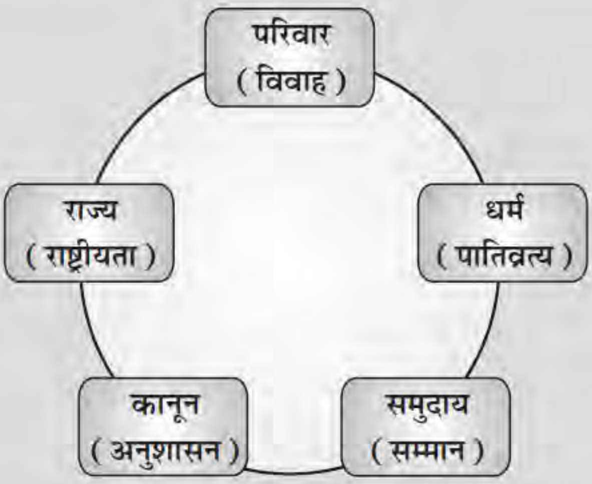

ये सभी संस्थाएं अपने टूल्स की मदद से अलग-अलग तरह से महिलाओं में एक तरह की हेजेमनी विकसित करती हैं, जो वर्चस्वशाली हिंसा को जन्म देती है और वे मान लेती हैं कि यही उनकी नियति है।

इस राजनीति की यदि परतें खोलने की कोशिश करें और शुरुआत परिवार से करें, तो हम जानते हैं कि परिवार में एक स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की होती है। यहीं स्त्री सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार भी होती है। इस संस्था का आधार विवाह है। मार्टिन विवाह के विषय में कहते हैं कि विवाह एक तकनीक है जो पितृसत्ता को बनाए रखती है।

इस संस्था की पूरी संरचना का आधार ही पुरुष की श्रेष्ठता है, जिसके साये में स्त्री अपना जीवन जीने को मजबूर होती है। अब वह पिता के नियंत्रण से निकलकर पति के नियंत्रण में आ चुकी होती है। यह पूरी प्रक्रिया स्त्री अधीनता को बढ़ावा देती है। इस क्रम में दहेज की अवधारणा से लेकर स्त्री के अस्तित्व संकट तक को शामिल करना जरूरी है।

परिवार दरअसल वो पहली इकाई भी है, जो हमें समाज से जोड़ती है। इसी में स्त्री-पुरुष गैरबराबरी की खांई भी सबसे गहरी है। परिवार के भीतर ही एक स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष

बनाया जाता है। उनका पालन–पोषण भी कुछ इस तरह से किया जाता है कि यहीं से हिंसा पुरुष का पर्याय बनकर उभरती है।

इस वातावरण में स्त्री भी पुरुष श्रेष्ठता को एक मूक सहमति दे देती है और ये मान लेती है कि उस पर पुरुष का नियंत्रण ही उसकी नियति है। इसके बाद पुरुष इसी नियंत्रण को बार–बार स्थापित करने के क्रम में उस पर हिंसा करता है। कभी वो तमाम लोगों के बीच छोटी–छोटी चीजों को लेकर अपमानित की जाती है। कभी पुरुष के उच्छिष्ठ का कूड़ेदान बनती है। इस सब से अगर वो उबरना भी चाहे तो आखिर में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है।

धर्म पितृसत्तात्मक व्यवस्था की रीढ़ है। यह पातिव्रत्य का हवाला देकर महिला को पुरुष का गुलाम बनाता है और पुरुष को उसके खुदा के तौर पर स्थापित करता है। ऋग्वेद में कहा भी गया है कि **स्त्री के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना मुश्किल है और उनकी समझ भी कम होती है।** इससे बड़ा हिंसात्मक वाक्य और कहां देखने को मिलेगा। खा़स बात तो ये है कि इस धर्म का पालन स्त्रियां ही ज्यादा मजबूती से करती हैं या तो उनसे करवाया जाता है। तमाम तरह के उपवास, प्रार्थनाएं वे अपने पति या पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसमें कोई भी व्रत बेटी या अपनी लंबी उम्र के लिए नहीं है। यहां धार्मिक किताबें उन्हें त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाती दिखती हैं। जिसके केन्द्र में पुरुष है या फिर उसकी सत्ता। तभी तो कृष्ण के प्रेम में राधा बेसुध हो जाती है और मीरा दीवानी, लेकिन कृष्ण के लिए ये महज एक लीला है। ऐसी लीलाओं का जिक्र हर दूसरी धार्मिक किताब में मिल जाएगा जिसमें शोषण का केन्द्र स्त्री है।

समुदाय हमेशा ही अपने सम्मान को स्त्री से जोड़कर देखता है। अपने समुदाय की स्त्री पर वह अपनी मलकियत समझता है। यही वजह है कि दूसरे समुदाय की स्त्री को नुकसान पहुंचाकर उस पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। इससे वह उस समाज की तथाकथित मर्दानगी को ललकारता है।

इसका उदाहरण देश में होने वाले दंगे हैं। जिसमें स्त्रियों के साथ बेहद क्रूरतम तरीकों से हिंसा की जाती है। गोधरा में जो हुआ वो कुछ ऐसा ही था। स्त्रियों के साथ न केवल बलात्कार हुए बल्कि उनके गुप्तांगों को बुरी तरह चोट भी पहुंचाई गई। हिंसा का यह वीभत्सतम स्वरूप है,

जिसकी जड़ पुरुषत्व है। इसका पोषण समुदाय के भीतर इज्ज़त नाम की अवधारणा के अंर्तगत होता है। तभी तो बदले की भावना के तहत ये लूट ली जाती है।

कानून विलियम ब्लैकस्टोन के मुताबिक **विवाह के बाद स्त्री पुरुष कानूनन एक हो जाते हैं। इस तरह विवाह में स्त्री का कानूनी अस्तित्व खत्म हो जाता है।** इस तरह कानून भी स्त्री को अस्तित्वहीनता की स्थिति में ही ढकेलता है। एक महिला जब अपने खिलाफ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करवाती है तो उसे किस तरह के व्यवहार से गुजरना पड़ता है। इसके तमाम उदाहरण हैं। इसके बाद भी मामले की चीरफाड़ की जाती है और उसे कुर्तकों से गुजरना पड़ता है। 1980 का मथुरा रेप केस इसका एक बड़ा उदाहरण है।

मथुरा का दो पुलिस जवानों ने बलात्कार किया। हाईकोर्ट में उन्हें अपराधी करार दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उलट दिया। उसका कहना था कि मथुरा यह साबित नहीं कर पाई कि इसमें उसकी रजामंदी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चार वकीलों ने इसे चुनौती दी और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र की प्रतिक्रिया स्वरुप सारे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ धरने व विरोध प्रर्दशन हुए। आखिरकार 1983 में बलात्कार कानूनों में कुछ संशोधन हुए। इस क्रम में फैमिली कोर्ट की भूमिका देंखे तो वो भी समझौतावादी है और हमेशा से ही पुरुष की हिंसा को द्रव्यीकृत करती आई है।

राज्य इस पूरी बहस में राज्य सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। पहले तो इन तमाम संस्थाओं को वो यथावत बनाए रखना चाहता है। दूसरा महिलाओं को वो संसाधन नहीं मुहैया कराता जिससे वे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक तौर पर सशक्त बनें। वज़ह, पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनाए रखना है, जिसका फायदा राज्य भी उठाता है।

इस क्रम में पुरुषवादी हिंसा की जड़े तलाशते हुए हमनें अपने अध्ययन में लड़कियों से बात की। उनके साथ बातचीत के दौरान हमने समझने का प्रयास किया कि वे इस हिंसा को किस तरह देखती हैं और वे अपने जीवन में इस हिंसा से किस तरह जूझ रही हैं।

अध्ययन में शामिल लड़कियों का परिचय

अध्ययन के लिए हमने भोपाल की 500 लड़कियों को चुना। अपने प्रतिदर्श में हमने अलग-अलग क्षेत्र, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र व पेशे से जुड़ी लड़कियों को लिया। हमारा मकसद लड़कियों के साथ होने वाले यौनिक शोषण को समग्रता में समझना था। इस दौरान हमनें प्रश्नावली की मदद से इन लड़कियों की सामान्य जानकारी जुटाने की कोशिश की। जवाबों के आधार पर विश्लेषण इस प्रकार है:

लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति-

हिंसा की घटना पर लड़कियों की प्रतिक्रिया को उनकी शैक्षणिक स्थिति से जोड़कर देखने के लिए हमनें अपने चयनित प्रतिदर्श में शैक्षणिक स्थिति के आधार पर लड़कियों को तीन वर्गों से लिया है। इसमें प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से ऊच्च शिक्षा तक व प्राइमरी से मिडिल के बीच ही शिक्षा छोड़ देने वाली लड़कियों को समान अनुपात में लिया गया। इसके तहत हम यह भी देखना चाहते थे कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का स्त्री सशक्तीकरण से कोई लेना-देना है या नहीं।

लड़कियों का पेशा या कार्य–

पेशा या कार्य	अध्ययन	जॉब	कुछ नहीं कर रही	कोई जवाब नहीं
संख्या	272	208	1	20

लड़कियां जब ज्यादा बाहर निकलेंगी। बेवक्त बाहर निकलेंगी तो उनके साथ हिंसा लाज़मी है। इस धारणा को आंकड़ों की कसौटी पर परखने के लिए हमनें जब महिलाओं से बात की तो आश्चर्यजनक तौर पर सबसे ज्यादा पढ़ने वाली लड़कियां (54%) ही खुद को हिंसा का शिकार बता रही थीं। नौकरी पेशा (42%) दूसरे स्थान पर हैं। जिनके आने–जाने का वक्त प्रचलित मापदंडों के अनुसार लड़कियों के लिए बिलकुल महफूज़ नहीं। जिनका बाहर निकलना अपेक्षाकृत ज्यादा है। इन अर्थों में पुरुषवादी हिंसा समय व स्त्री के बाहर निकलने से नहीं बल्कि पुरुष द्वारा उसे कमजोर महसूस करने और उस पर सत्ता स्थापित करने से जुड़ी है।

लड़कियों की उम्र

उम्र	12–18 वर्ष	19–24 वर्ष	25–31 वर्ष	कोई जवाब नहीं
संख्या	175	201	122	3

सामाजिक मान्यता के अनुसार कम उम्र की लड़कियों को समझ नहीं होती कि उन्हें एक आदर्श लड़की की तरह कैसे रहना है। यही वज़ह है कि वो हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन यहां आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। जिसके तहत सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार (40%) लड़िकियां 19 से 24 वर्ष के आयु वर्ग से आती हैं। जबकि दूसरे नंबर पर 35% लड़कियां 12 से 18 वर्ष के बीच से आती हैं। प्रचलित मान्यता के हिसाब से ये क्रम उल्टा होना चाहिए। स्पष्ट है हिंसा की वज़ह महिला की तथाकथित नादानी या उचृछखलता नहीं बल्कि हिंसा कर्ता की स्त्री के प्रति पुरुषवादी नज़र है।

यौनिक शोषण का स्वरुप

रोजमर्रा की जिंदगी में रास्तों पर आते-जाते क्या लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं? अचानक किसी अजनबी का पीछे आना या अश्लील बातें करना क्या उनके लिए आमबात हो गई है या फिर वे इसे लेकर सचेत हैं? इस तरह की घटनाओं में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। रास्ते पर घटी तथाकथित एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन पर क्या असर डाला है? हिंसा की वज़ह क्या वाकई प्रचिलत धारणाओं में छुपी है या फिर वे धारणाएं भी पुरुषवादी सोच का नतीज़ा हैं। जिसके तहत पूरी तैयारी औरत को दबाकर फिर उस पर सत्ता स्थापित करने की है। इन सवालों के जवाब की पड़ताल में संगिनी ने जब प्रश्नावली के माध्यम से राह चलते होने वाले यौनिक शोषण के स्वरुप को जानने और समझने की कोशिश की तो जवाब कुछ इस तरह थे।

" वो मुझे पीछे से टक्कर मार कर चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकी।

-आन्या "

घटना का स्वरुप-

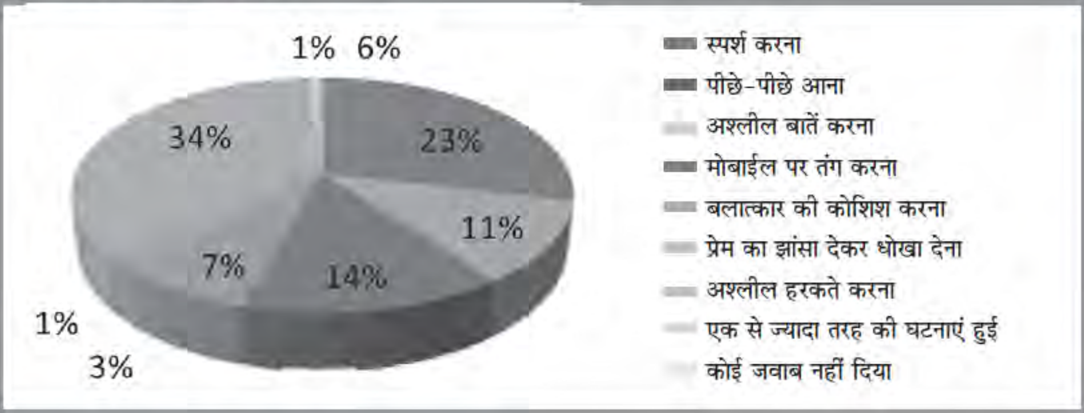

लड़कियां किसी एक ख़ास तरह की हिंसात्मक घटना का शिकार नहीं बल्कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर सभी तरह की घटनाओं को झेल रही हैं। यह आंकड़ा परेशान करता है और एनसीआरबी की उस सूची की तरफ ध्यान ले जाता है जिसमें मध्य प्रदेश यौन शोषण में सबसे ऊपर है। पीछा करना दूसरी बड़ी घटना होने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की ख़ामिया और स्त्री के सामाजीकरण की पोल एक साथ खोलता है। जहां औरत के चाल-चलन का निर्धारण उसकी सहनशीलता से होता है और पुरुष का तथाकथित पुरुषत्व औरत पर सत्ता स्थापित करने से आंका जाता है। यह

मैं सहती क्यों रही...

मैं बस से अपने घर जा रही थी। मेरे पिता जी मेरे साथ थे। एक आदमी दूर खड़ा मुझे घूर-घूर कर देख रहा था। जैसे ही मेरे बगल की सीट खाली हुई। वो उस पर आकर बैठ गया। उसने शराब पी रखी थी। वो मेरे बगल मे बैठा इशारे कर रहा था। बार-बार मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा गई थी और चाह कर भी अपने पिता जी से कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन जब हम बस से उतरे तो वो भी हमारे साथ उतर गया और मेरा पीछा करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डरते-डरते मैंने पिता जी को पूरी घटना बताई। उन्होंने उस शराबी की पिटाई की और उसे पुलिस में देने की धमकी दी। वो डर गया और माफी मांगने लगा। उसके जाने के बाद पिता जी ने मुझे बहुत डांटा और आगे से ऐसा कुछ भी होने पर तुरंत बताने के लिए कहा। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि जब वो मुझे घूर रहा था उसी वक्त मैं कोई प्रतिक्रिया क्यूं नहीं कर पाई। आखिर मैं चुपचाप सबकुछ सहती क्यों रही। जबकि मेरी गलती कुछ भी नहीं थी। तब भी मुझे उसकी हरकत के बारे में पिता जी को इतना समय क्यूं लगा? -दीपिका(बदला हुआ नाम)

दरअसल बेहद आसान तरीका भी है जिससे पुरुष लड़की को मानसिक प्रताड़ना देता है। इसे हिंसा माना भी नहीं जाता। मोबाइल पर परेशान करना श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। यह औरत की निजता पर संचार माध्यमों के तहत पुरुषवादी हिंसा का आक्रमण है और बताता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भूमंडलीकरण ने किस तरह लड़कियों की मुश्किल बढ़ा दी है।

सबके सामने उसने हाथ पकड़ लिया...

रैना(बदला हुआ नाम) 11 वीं की छात्रा है। उसके साथ हुई घटना के निशान उसके दिल-दिमाग पर आज भी हैं। उसके मोहल्ले के लोग उसे शक की नज़र से देखते हैं। घटना के कई दिन बाद तक तो वो स्कूल भी नहीं जा सकी। दूसरों की सवालों भरी नज़र उसे हर वक्त प्रताड़ित करती है और उस गलती की सजा देती सी लगती है जो उसने कभी की ही नहीं। रैना के मुताबिक घटना कुछ दिनों पहले की है जब वो स्कूल से घर जा रही थी। अचानक उसकी क्लास के ही एक लड़के ने बीच सड़क पर सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील बातें करने लगा। इस घटना के बाद रैना को अपने ही लोगों के बीच शर्मिन्दा होना पड़ा। वो हमेशा तनाव में रहती है।

शहर के असुरक्षित स्थान-

अकेले व सन्नाटे वाली जगहें लड़कियों के लिए महफूज़ नहीं। उन्हें ऐसी जगहों पर अकेले जाने से बचना चाहिए। ये बेहद प्रचलित आम धारणा है। लेकिन जब इस मुद्दें पर हमनें लड़कियों से ही जानना चाहा कि वो क्या मानती हैं। तो जवाब होश उड़ाने वाले थे। सबसे ज्यादा लड़कियों ने स्वीकारा कि आज शहर का कोई भी स्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं। हर सार्वजनिक स्थान असुरक्षित है। यहां तक कि भीड़-भाड़ वाले इलाके सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

> मैं आज तक नहीं समझ पाई कि जब वो मुझे घूर रहा था उसी वक्त मैं कोई प्रतिक्रिया क्यूं नहीं कर पाई। आखिर मैं चुपचाप सबकुछ सहती क्यों रही। जबकि मेरी गलती कुछ भी नहीं थी। तब भी मुझे उसकी हरकत के बारे में पिता जी को इतना समय क्यूं लगा?
>
> -दीपिका

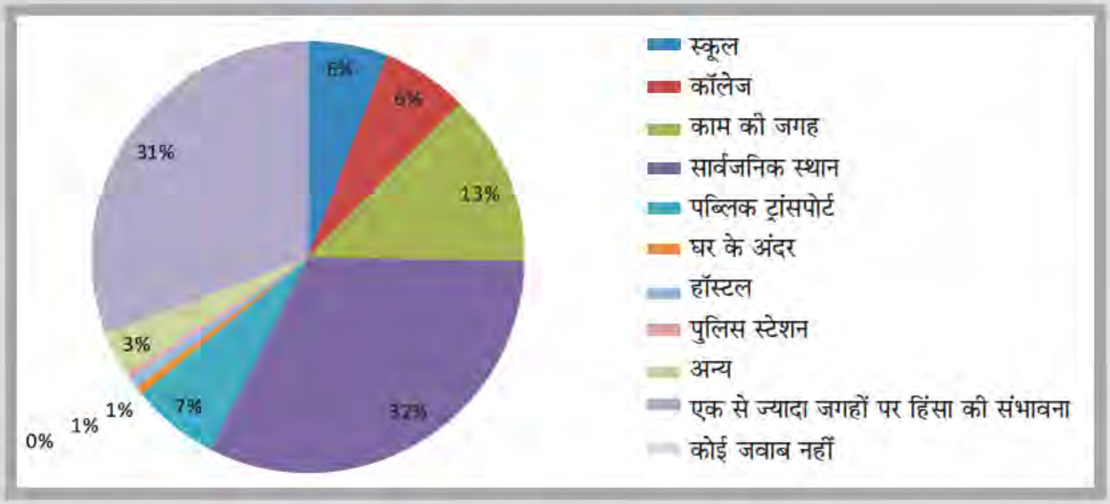

लड़कियां काम की जगह यहां तक कि स्कूल कॉलेज में महफूज़ महसूस नहीं करती। बसें जिनमें हर दिन वे स्कूल-कॉलेज या अपने काम की जगह पर आने-जाने के लिए सफर करती हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां इसे असुरक्षित कह रही हैं। इन आंकड़ों को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला लड़कियां जितनी असुरक्षित सन्नाटे में हैं उतनी ही भीड़-भाड़ में। यानि ये असुरक्षा भीड़ या सन्नाटे से नहीं बल्कि उस सामाजीकरण से जुड़ी है जिसमें पुरुष का मतलब औरत पर हिंसा करना और दबाव बनाना है। पुरुषत्व की इसी परिभाषा ने हिंसा का वस्तुकरण भी किया है।

दूसरा भीड़-भाड़ में ज्यादातर लोग अपरिचित हैं। मायने, भीड़ में पुरुष अपरिचित के साथ हिंसा करता है और सन्नाटे में परिचित से। वज़ह अपने घर की तथाकथित इज्ज़त सबके सामने बनाए रखना और अपरिचित लड़की के स्त्रीतत्व पर खुलेआम चोट करके पुरुषत्व को महसूसना।

शहर में असुरक्षित समय-

समय	सुबह	दोपहर	शाम	रात	अन्य	एक से ज्यादा समय	कुछ नहीं कहा
संख्या	2	44	62	281	1	107	4

इस सवाल के तहत ये समझने की जरुरत है कि जब लड़कियों से असुरक्षित वक्त को लेकर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने अपने सामाजीकरण व प्रचलित धारणाओं में बंधी सोच के तहत रात

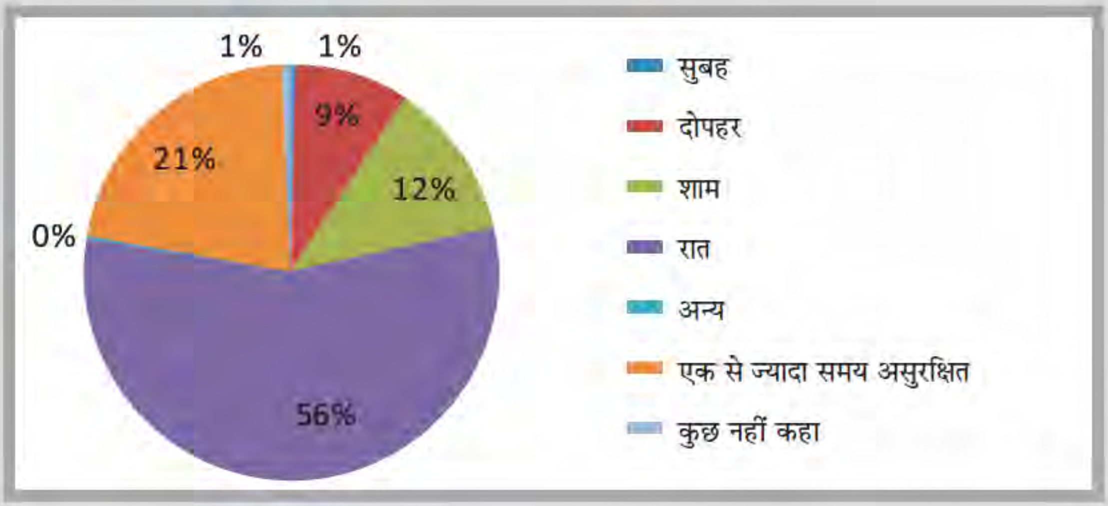

दोपहर के वक्त परेशान करता था...

सीमा(बदला हुआ नाम) एक छात्रा है। उसके साथियों के मुताबिक करीब दो महीने पहले एक 19- 20 वर्ष का लड़का उसे परेशान करता था। वो अक्सर 1100 क्वार्टर्स स्थित गणेश मंदिर के पास दोपहर के वक्त स्कूटी लेकर घूमता था और अश्लील बातें व गालियां देता हुआ घर से कुछ दूर तक उसका पीछा करता था। सीमा बेहद डरी थी और वो बहुत मुश्किल से अपने क्लास के साथियों को ये बात बता पाई। इसके बाद सीमा के कुछ साथियों ने उस लड़के पर नज़र रखी और उसे पीट दिया। बहुत जल्द इस घटना की खबर सीमा के माता-पिता व शिक्षकों तक पहुंच गई। परंपरागत तौर पर माता-पिता और यहां तक की शिक्षकों ने भी इस पूरी घटना के लिए सीमा को ही जिम्मेदार ठहराया एवं आगे से तथाकथित ठीक से रहने की हिदायत दी। इतना ही नहीं मामला शांत होने तक उसे बड़ी बहन के पास भी भेज दिया गया।

इस घटना के लगभग एक माह बाद सीमा वापस स्कूल जा पाई। उसकी दोस्त का कहना है कि अब इस तरह का कुछ होने पर या तो वो चुप रहकर घटना की अनदेखी करती है या फिर ग्रुप में आती-जाती है। हर वक्त ही डरी-सहमी सी रहती है। सीमा के डर की वज़ह सिर्फ वो घटना नहीं बल्कि उस घटना पर की गई सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिक्रिया है। जिसके तहत अंततः दोषी वो ही बना दी गई।

को सबसे असुरक्षित कहा। हालांकि दूसरे स्थान पर लड़कियों का वह हिस्सा आता है, जो हर समय को असुरक्षित कह रहा था। बावजूद इसके लड़कियां अंधेरे के बढ़ने के क्रम में स्वंय को असुरक्षित महसूस करने की बात दर्ज करवा रही थीं।

इसके उलट जब लड़कियों से पूछा गया कि उनके साथ जब हिंसा हुई तो वक्त क्या था। ज्यादातर (163 महिलाओं) का जवाब दोपहर था। ये विरोधाभास उस मिथक की तरफ भी इशारा करता है। जिसके तहत मान लिया जाता है कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर रात में ही हो सकती हैं या फिर अगर महिलाएं रात के वक्त बाहर न निकले तो उनके साथ ऐसी घटनाएं कम होंगी।

समय	दिन या सुबह	दोपहर	शाम	रात	एक से ज्यादा समय	कोई जवाब नहीं
संख्या	34	163	125	124	32	23

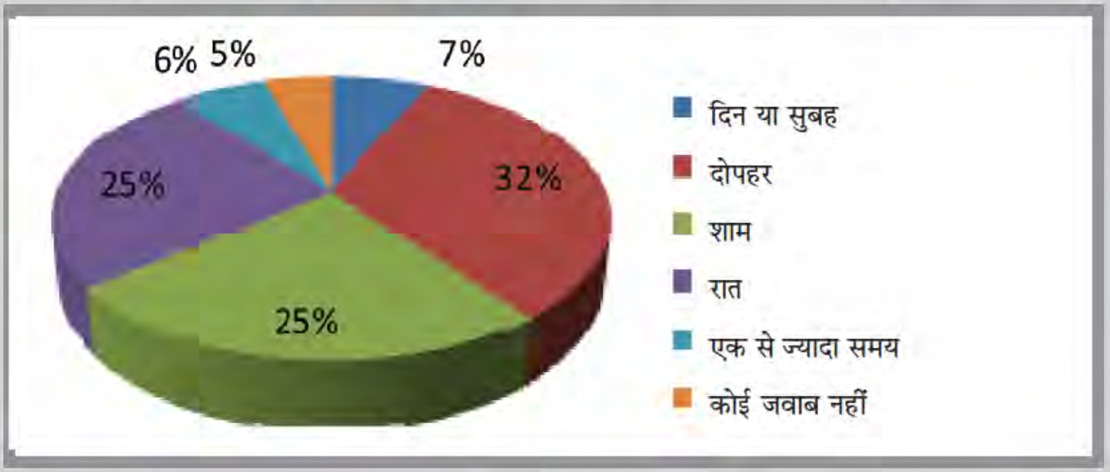

हिंसाकर्ता से रिश्ता-

रिश्ता	घर का व्यक्ति	पड़ोसी	रिश्तेदार	परिचित	अपरिचित	दोस्त	प्रेमी	एक से ज्यादालोग	कुछ नहीं कह
संख्या	3	18	23	89	262	15	0	87	4

लड़कियों से जब हिंसाकर्ता से उनके रिश्ते या पहचान के बारे में पूछा गया तो उनके मुताबिक हिंसाकर्ता कोई भी हो सकता है, अपरिचत या कोई अपना(परिचित) भी। परिचितों की इस श्रेणी में घर के व्यक्ति से लेकर रिश्तेदार, पड़ोसी, आस–पास के लोग सभी आते हैं। यानी इन आंकड़ों से इतना तो तय है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमेशा हिंसाकर्ता अपरिचत ही होगा। यूं भी देखे तो पुरुषवादी हिंसा की जड़ हमारे सामाजिक ढांचे में है। जिसके तहत आदमी–औरत के रिश्ते ही हिंसा की नींव पर खड़े हैं।

पहचान	परिचित	अपरिचित	अन्य	कोई जवाब नहीं
महिलाओं की संख्या	93	378	4	26

उम्र	15 वर्ष	20 वर्ष	25 वर्ष	35 वर्ष	35 वर्ष से	कुछ नहीं अधिक	एक से ज्यादा
महिलाओं की संख्या	6	73	139	79	83	3	118

जब लड़कियों से उनके स्वंय के अनुभव पूछे गएं तो 75त्र का कहना था कि हिंसाकर्ता अपरिचित था। ऐसी स्थिति में राह चलते हिंसा होने पर महिला मदद किससे ले। मददकर्ता पर विश्वास कैसे करे। यहां सवाल ये भी है कि कितनी लड़कियां परिचितों की हिंसा को हिंसा के रुप में देख पाती हैं। फिर उनकी शिकायत करना या उन्हें दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है।

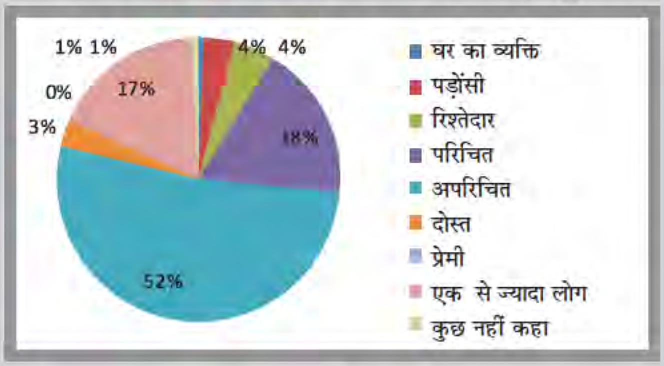

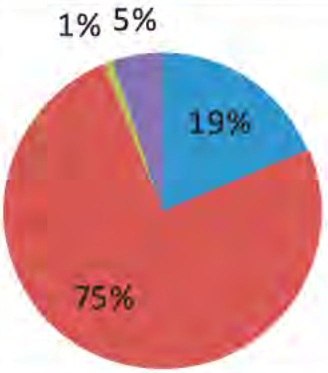

मुझे अपनी नौकरी बचानी थी...

अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रजनी(बदला हुआ नाम) ने घरेलू कामगार का विकल्प चुना। वो दूसरों के घरों में खाना बनाती हैं। रजनी रोजाना सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाती है। एक दिन वो काम पर जा रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक बाइक सवार अश्लील बातें बोलते हुए उसके पीछे आ रहा है। रजनी ने कुछ देर तो सबकुछ चुपचाप बर्दाश्त किया। लेकिन उसे बार-बार पीछे आता देख रजनी ने परेशान होकर उसे गाली दी और मारने के लिए पत्थर उठाकर उसके पीछे दौड़ी। इस पर वो बाइक सवार भाग गया।

इस घटना के बारे में रजनी ने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि कहीं इस बारे में बताने पर उनका घर से निकलना और काम करना बंद न हो जाए। रजनी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए इस बात को सबसे तो छुपा लिया। लेकिन आज भी उन्हें ये बात तकलीफ पहुंचाती है कि वो उस बाइक सवार के खिलाफ कुछ न कर सकीं।

"मम्मी से भी कुछ नहीं कह पा रही डर लगता है कहीं पापा को बताकर मेरी पढ़ाई न छुड़वा दें।

-नेहा"

पहचान	परिचित	अपरिचित	अन्य	कोई जवाब नहीं
महिलाओं की संख्या	93	378	4	26

हिंसाकर्ता की उम्र–

उम्र	15 वर्ष	20 वर्ष	25 वर्ष	35 वर्ष	35 वर्ष से	कुछ नहीं अधिक	एक से ज्यादा
महिलाओं की संख्या	6	73	139	79	83	3	118

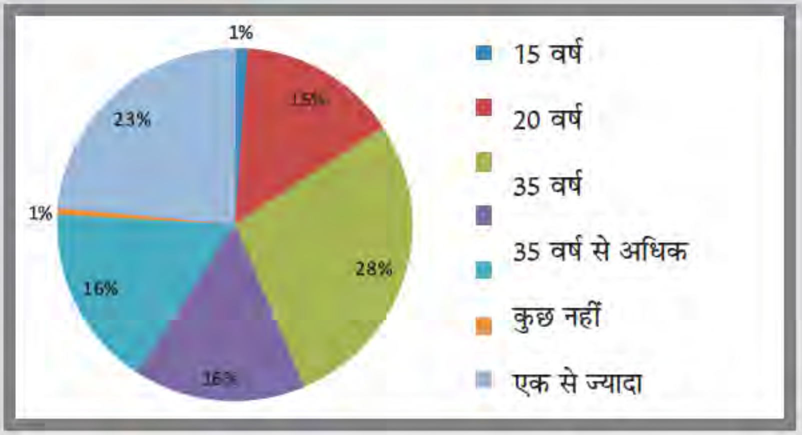

ज्यादातर हिंसाकर्ता 20 वर्ष या इससे ऊपर आयु का है। इसमें भी 35 वर्ष से अधिक के पुरुषों को दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा हिंसक बताया गया। यह अपने आप में उस मिथक को तोड़ता है जिसके तहत इस तरह की घटनाओं को उम्र का तकाज़ा मानकर नज़रअंदाज किया जाता है। इन अर्थों में राह चलते होने वाली घटना किसी कम उम्र के लड़के की नादानी नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया यौन शोषण है।

मेरी मदद किसी ने नहीं की...

मेरे साथ यूं तो यौन शोषण की तमाम घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं अपने साथ होने वाली सबसे भयावह घटना को कभी नहीं भूल सकती। मैं मैजिक से जा रही थी। मेरे बगल में दो लड़कियां और थीं। मेरे ठीक सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। अचानक वो अश्लील हरकते करने लगा। मैंने ड्राइवर को बोला लेकिन उन्होंने नहीं सुना। 100 नंबर पर फोन भी लगाया। लेकिन किसी ने नहीं उठाया। दुबारा फोन लगाने पर फोन उठा तो मैंने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। अचानक वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति भागने लगा। मैंने पैर अड़ाया तो वो गिर गया। मैंने उसे गालियां दी। वो बहुत आसानी से भाग गया। किसी ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की। न ड्राइवर ने, न राह चलते लोगों ने और न ही पुलिस ने। पुलिस बहुत देर से आई तब तक वो भाग चुका था। इस घटना के घाव तो अभी तक मेरे मन पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी ने मेरी मदद नहीं की।

-चंद्रा

इस तरह की घटनाएं परेशान करती हैं और डरा देती हैं। इसी वजह से हमारे भीतर हमेशा ही असुरक्षा की भावना रहती है।

-रचना

लड़कियों के साथ हुई हिंसा का स्वरुप

उनकी नज़र में

लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं पर जब हमनें उनसे बात की तो उनके जवाब हिंसा की उनकी साधारण अवधारणा से कुछ अलग थे। एक ही सवाल पर राय व्यक्त करते हुए वे कुछ और कह रही थी और खुद के बारे में उसी सवाल पर उनका जवाब कुछ और था। यह विरोधाभास औरत के सामाजीकरण, हेजेमनीय, स्त्री–पुरुष के बीच की गैरबराबरी की तरफ इशारा करता है। इसकी पड़ताल में–

हिंसा से गुजर चुकी लड़कियां-

हां या नहीं	हां	नहीं	अन्य	कुछ नहीं
संख्या	426	63	9	3

426 लड़कियों का इस बात पर हामी भरना कि उनके साथ हिंसा हुई, सवाल है स्त्री सशिक्तकरण का दम भर रही सरकारी योजनाओं पर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रही पुलिसिया व्यवस्था पर और समाज में स्त्री-पुरुष को बराबरी से देखने की बात कर रहे परिवार और समाज पर। इसमें भी जो कुछ नहीं बोल रही या साफ-साफ नहीं बोल पा रही उनके साथ हिंसा नहीं हुई ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते।

ये संख्या बेहतर इन मायनों में है कि कम से कम लड़कियां अपने साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं को खुलकर स्वीकार रही हैं। वे आज तथाकथित इज्ज़त व मर्यादा के जाल से बाहर निकलकर बोलना तो सीखी हैं। लेकिन जरुरी ये भी है कि उन्हें ऐसा माहौल मिले कि वे घटना पर त्वरित कार्यवाही कर पाएं।

अगर मैं न बोल पाती...

गीता(बदला हुआ नाम) एक घरेलू कामगार हैं। घटना होली के कुछ दिन बाद की है। वे अपनी ननद के घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक आदमी ने उनसे छेड़खानी की। कुछ देर तो वो चुप रहीं। लेकिन जब वो ऐसा करता ही रहा तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गाली देते हुए चप्पल उठा ली। इस पर वो आदमी भी पत्थर उठाकर पलटवार के लिए तैयार हो गया। ये देखकर गीता के साथ की महिलाएं भी उसे मारने दौड़ीं। वो डर गया और भाग खड़ा हुआ।

घटना के बारे में गीता ने कभी अपने घर में किसी को नहीं बताया। वज़ह साफ है गीता को डर है कि ऐसा करने पर उसका काम और घर से निकलना दोनों ही बंद हो जाएगा। गीता के सवाल हैं कि गलत कोई दूसरा करें फिर भी डर-डर कर हमें ही क्यों रहना पड़ता है? अगर मैं उस दिन कुछ न बोल पाती तब तो वो कुछ भी कर सकता था।

घटना का प्रकार-

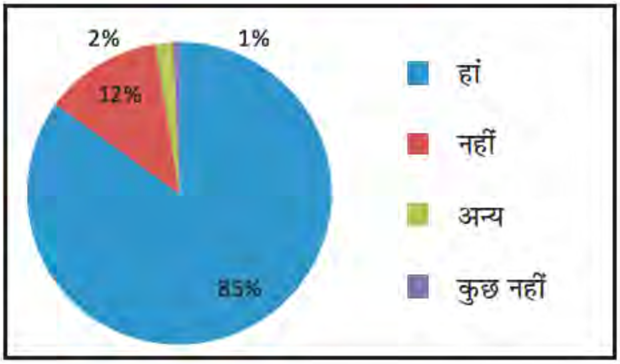

प्रेमी, पति, पिता ये तो अपने रिश्ते हैं। इन रिश्तों में की गई हिंसा, हिंसा नहीं प्यार का ही एक रुप है। वो मारता है तो प्यार भी तो करता है। ये वो कुछ आम धारणाएं हैं, जिनके तरह करीबी रिश्तों में हिंसा मान्य है। ऐसा ही कुछ तब भी निकल कर आया जब महिलाओं से इस सवाल पर उनकी राय पूछी गई कि हिंसाकर्ता कौन होता है। एक भी महिला ने प्रेमी को हिंसक नहीं कहा। लेकिन यहां घटना का स्वरुप पूछने के क्रम में हम किसी और ही नतीजे पर पहुंच गए। जिसके तहत 22 महिलाओं ने कहा कि उनके साथ प्रेम में हिंसा हुई।

दोस्त था वो मेरा...

वो मेरी दोस्त का दोस्त था। पहले उसने मुझसे दोस्ती की। शुरुआत में उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे-धीरे वो मुझे परेशान करने लगा। हर बात पर रोकना-टोकना तो जैसे आम बात हो गई थी। हद तो तब हो गई जब उसने मेरे साथ जोर-जबरदस्ती करना भी शुरु कर दिया। मना करने पर वो मुझे बदनाम करने की धमकी देने लगा। मैं बहुत डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहां जाउं? किससे मदद मांगू? फिर बहुत हिम्मत करके मैंने अपने बड़े भाई और मम्मी-पापा को सबकुछ बता डाला। इस पर उन सबने मुझे बहुत डांटा और उस लड़के की खूब पिटाई की।

इस घटना के बाद से वो लड़का तो मेरे पीछे नहीं आता। लेकिन अब मैं एक कैदी की सी जिंदगी जी रही हूं। मेरे मम्मी-पापा मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। यहां तक कि मुझे स्कूल भी छोड़ने और लेने आते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी? एक लड़के से दोस्ती करना? या अपने घरवालों से अपनी परेशानी बता देना? हां, इतना जरुर हैं कि अब हर वक्त मेरे ऊपर मेरे घरवालों की नज़र रहती है। मेरी कोई व्यक्तिगत जगह या जिंदगी नहीं है।

प्रिया (बदला हुआ नाम)

राय देते वक्त 28 लड़कियों ने कहा था कि बलात्कार की कोशिश भी होती है। जबकि जब उनसे खुद के अनुभव पूछे गए तो सिर्फ 2 महिलाओं ने इस विकल्प पर सहमति जताई।

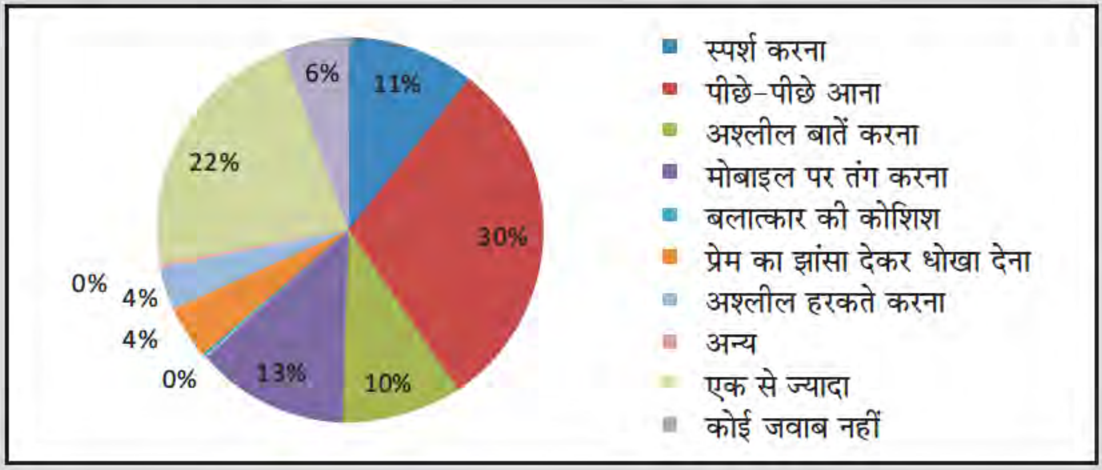

घटना का स्वरुप-

किसी भी हिंसात्मक घटना के दौरान लड़की हर तरह की प्रताड़ना झेलती है। लेकिन इस हिंसा के निशान जो मन से नहीं मिटते वो उसे मानसिक प्रताड़ना देते हैं। घटना के वक्त से लेकर इंसाफ की प्रक्रिया यहां तक कि बाद के जीवन में भी उसे हिंसा का मस्तिष्क पर पड़ा कोड़ा सालता है।

घटना का स्वरुप	मानसिक	शारीरिक	यौनिक	आर्थिक	कोई जवाब नहीं	एक से ज्यादा
महिलाओं	254	66	3	10	82	86

यही दर्द हमारे अध्ययन से भी निकल कर आया। आधे से ज्यादा लड़कियां कह रही थी कि वो इस हिंसा से मानसिक पीड़ा में हैं। आश्चर्यजनक तौर पर हमारी सामाजिक व्यवस्था में न तो इसे हिंसा माना जाता है और न ही इससे जुड़ी शिकायतों को तवज्जों ही दिया जाता है। न ही इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही है। 82 महिलाओं की चुप्पी की पड़ताल सामाजिक ताने-बाने में करें तो जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे।

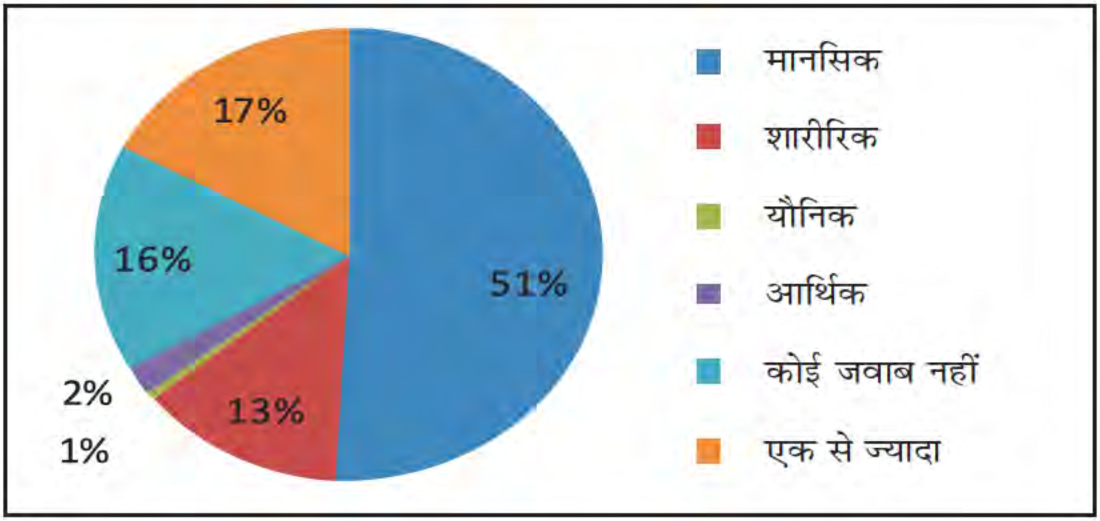

घटना का स्थान–

स्थान	संख्या
सार्वजनिक स्थान	150
बस में	78
रास्ते में या सड़क पर	110
1100 क्वार्ट	12
न्यू मार्केट	8
काम की जगह	17
अन्धा मोड़ चार इमली	7
एमपी नगर	23
घर में	23
12 नंबर	3
फोन पर	4
हॉस्टल	6
10 नंबर	3
शौच के वक्त	2
कोई जवाब नहीं दिया	55

सुरक्षा की द्रष्टि से स्थान की बात पर लड़कियां अपने अनुभव में भी सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाले स्थान को ही गैरमहफूज़ बता रही हैं। सार्वजनिक स्थानों में भी अगर स्थान विशेष की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 महिलाओं ने एमपी नगर पर उनके साथ हिंसात्मक घटना होने की बात कही है। 17 महिलाएं काम की जगह पर ऐसी घटना होने की बात कहती हैं। 1100 क्वाटर्स के पास 12 महिलाओं ने ऐसी हिंसात्मक घटना होने की शिकायत की।

प्रचलित अवधारणा के तहत माना जाता है कि अक्सर झुग्गी-बस्तियों के पास की जगह सुरक्षित नहीं होती। लेकिन यहां विश्लेषण शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली तथाकथित अच्छी जगह एमपी नगर को सबसे असुरक्षित बता रहा है।

गौर करने वाली बात ये भी है कि जब महिलाओं से पूछा गया था कि हिंसाकर्ता अक्सर कौन होता है तो सिर्फ तीन ने घर के व्यक्ति की बात कही थी। इसका मतलब ये भी है कि बाहर के लोग भी कई बार महिलाओं के घर के भीतर उनके साथ हिंसा कर जाते हैं।

हिंसा की शुरुआत का तरीका-

हिंसा का तरीका	छेड़खानी	तानाकशी	सीधे हिंसा	अन्य	एक से ज्यादा तरीके	कोई जवाब नहीं
संख्या	311	82	18	29	24	37

किसी भी व्यक्ति को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा हमला उसके मन-मस्तिष्क पर होता है। यही विचार पुरुषवादी हिंसा में भी नज़र आता है। छेड़खानी का सूची में अव्वल होना लड़की को सबसे पहले मानसिक तौर पर परेशान किए जाने की मंशा को दर्शाता है। यह पुरुष को तथाकथित मजबूत मानने की सामाजिक धारणा को भी पुष्ट करता है। जिसके तहत पुरुष यही मानता है कि वो श्रेष्ठ है स्त्री कमजोर है। कमजोर पर हिंसा करना सत्ता संबंधों की शर्त होती है।

मैं पांच साल की थी। तब बस से उतरते वक्त एक आदमी पीछे से मुझे हाथ मारकर चला गया।
- रीना

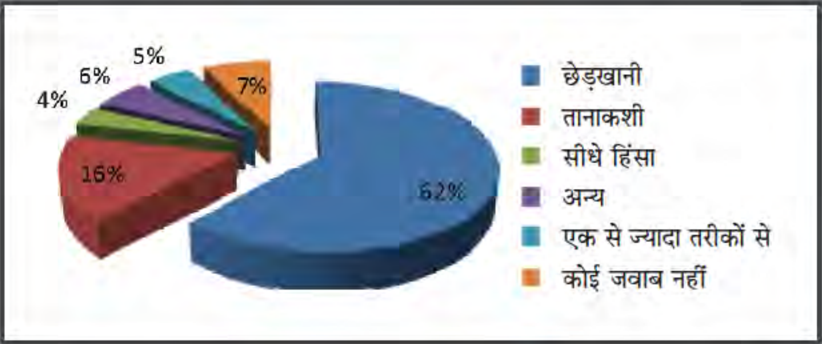

घटना के बचाव में प्रतिक्रिया–

प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया नहीं	तत्काल प्रतिक्रिया	बाद में प्रतिक्रिया	कोई जवाब नहीं
संख्या	143	232	74	52

कहते हैं बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष की पहली लहर प्रतिक्रिया के इस सवाल पर दिखी। जिसके तहत बड़ी संख्या में लड़कियां हिंसात्मक घटनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया की बात स्वीकार रही हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो घटना के बाद घर जाकर अपनों या दोस्तों से इस तरह की घटना का जिक्र करती हैं।

इसके बावजूद दुखद है कि लगभग एक तिहाई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने साथ होने वाली हिंसक घटना पर कुछ नहीं कर पा रहीं। उनका कुछ न कर पाने की वज़ह उनके सामाजीकरण में तलाशनी होगी। जहां इज्ज़त को ढोने की पूरी जिम्मेदारी औरत की है।

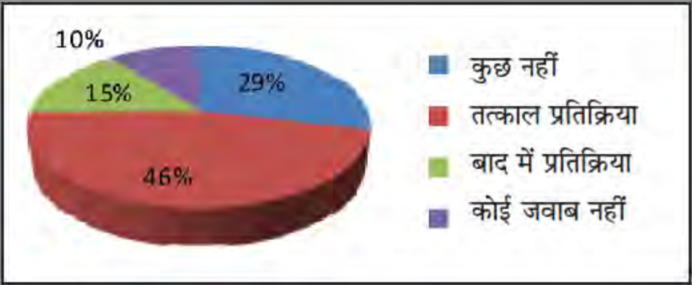

मददकर्ता का परिचय-

मदद कर्ता	संख्या
माता-पिता	76
भाई-बहन	24
दोस्त	105
रिश्तेदार	18
पुलिस	17
हेल्पलाइन	13
आयोग	3
किसी से नहीं	158
अन्य	33
एक से ज्यादा लोगों ने	31
कोई जवाब नहीं	23

गैरबराबरी के स्त्री-पुरुष रिश्तों के बीच भी एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता है जो अपेक्षाकृत एक स्त्री की अभिव्यक्ति के लिए ज्यादा सहज माहौल बनाता है। 105 लड़कियों का हिंसा के वक्त दोस्त से मदद मांगना इस विचार को मजबूत करता है कि दोस्ती रिश्तों को सहज बनाती है और एक मजबूत व पारदर्शी रिश्ते के लिए जरूरी भी है।

पुलिस और हेल्पलाइन की मदद बहुत कम लड़कियों द्वारा लिया जाना ये दर्शाता है कि इन पर उनका भरोसा नहीं। कई महिलाओं का तो यहां तक कहना है कि कई बार हिंसाकर्ता पुलिसवाला ही होता है। फिर उनसे किस तरह मदद मांगी जाएं।

> मैंने ड्राइवर को बोला लेकिन उन्होंने नहीं सुना। 100 नंबर पर फोन भी लगाया। लेकिन किसी ने नहीं उठाया।
>
> -चंद्रा

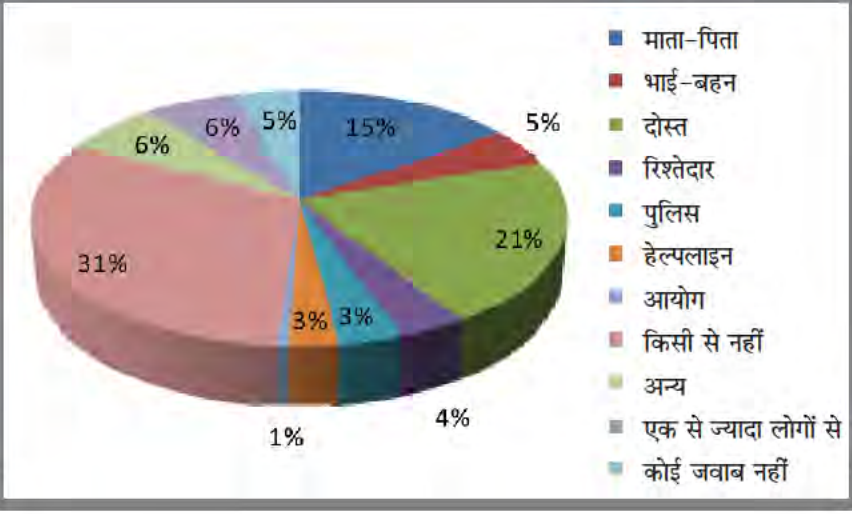

मददकर्ता का रवैया-

रवैया	अच्छा	बुरा	मदद नहीं ली	कोई जवाब नहीं
संख्या	242	20	60	179

औरत के प्रति एक समाज का रवैया कैसा होता है ये जगजाहिर है। या तो वो बेचारी होगी या फिर धूर्त। उसे एक इंसान के तौर पर परानुभूतिपूर्ण नज़रिए से बिलकुल नहीं देखा जा सकता। यही वज़ह है कि वो उसे इस बात से बहुत मतलब भी नहीं है कि मदद कर्ता का व्यवहार कैसा है वो मदद कर रहा है यही बहुत हैं। तभी तो इस सवाल पर बड़ी संख्या में लड़कियां चुप हैं। हालांकि 242 लड़कियां कह रही है कि उनकी जिसने मदद की उसका रवैया अच्छा था। 179 इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ थी या कहें कि इसका उनके लिए बहुत मतलब नहीं था या फिर व्यवस्था के अनुरुप अपेक्षित व्यवहार को अलोचनात्मक नज़र से देख नहीं पाई।

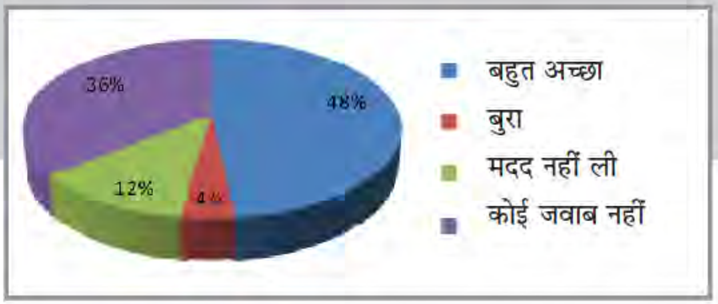

मदद हो सकी या नहीं–

लड़कियां हमेशा इस डर में रहती हैं कि अगर किसी को पता चला कि उनके साथ हिंसा की घटना हुई तो उनकी कितनी बदनामी होगी । लोग क्या सोचेगें। ऐसे ही जवाब हमें अपने अध्ययन में भी मिले। इसी डर से 25त्न लड़कियां ऐसी थीं। जिन्होंने मदद मांगी ही नहीं। जबकि सबसे ज्यादा संख्या में लड़कियों का ये कहना कि मदद हो सकी। मदद मांगने वालों में भी आधे से कम का कहना कि मददकर्ता सफलतापूर्वक उनकी मदद कर सके। संतोषजनक कतई नहीं।

गौरतलब है कि आधी से भी कम लड़कियों को मदद मिल पा रही है। बड़ा प्रतिशत मदद मांगता ही नहीं। जो मदद लेना भी चाहता है, उनमें भी सभी को मदद नहीं मिल रही। लगभग एक चौथाई लड़कियां इस सवाल पर चुप हैं। खामोशी के इस शून्य का मतलब सफलतापूर्वक मदद मिलना तो नहीं ही होगा।

मदद हो सकी या नहीं	कर सके	नहीं कर सके	मदद नहीं मांगी	कोई जवाब नहीं
संख्या	237	30	124	110

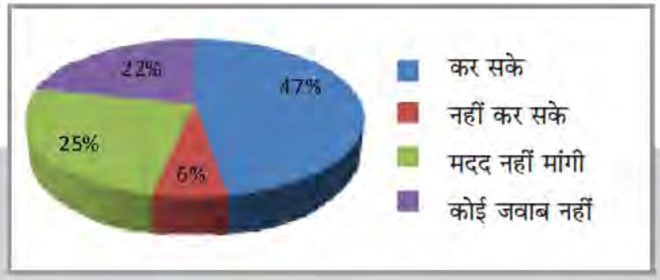

हिंसा का सरवाइवर पर असर–

असर	तनाव या बुरा असर	हिम्मत मिली	कुछ नहीं	कोई जवाब नहीं
संख्या	325	65	40	71

एक लड़की के साथ यौनिक शोषण होता है। वक्त बीतता है दूसरों के लिए आई–गई बात हो जाती है। लेकिन वो महिला पूरे जीवन उस हिंसा को अपने मन–मस्तिष्क पर ढोती है। मानसिक शोषण से आहत वो पूरे जीवन उस पीड़ा को महसूस करती है। शहर की लड़कियों के जवाबों में भी वही तकलीफ थी। जब उन्होंने कहा कि उनके साथ हुई हिंसा का असर उनके उनके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ा।

65% लड़कियां ये दर्द स्वीकारती हैं। वे इसकी परिणिति तनाव में मानती हैं। 14% लड़कियां हिंसात्मक घटना को एक सबक के तौर पर मानती हैं और उनका कहना है कि इससे उन्हें एक सीख मिली है। 325 का ये आंकड़ा एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन घटनाओं से औरत सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा भोगती है। जिसका दर्ज रिकॉर्ड नहीं होता।

अब शालिनी अकेले कहीं नहीं जाती...

शालिनी के साथ कुछ अलग हुआ। वो एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम करती है। मैजिक या ऑटो से ही आती–जाती है। कुछ दिन पहले की बात है एक ऑटो वाला उसे रोजाना घूरता था। एक दिन वो जिस मैजिक में बैठी वो ऑटोवाला भी उसी में आकर बैठ गया। उसके साथ एक आदमी भी था। दोनों अगल–बगल बैठ गए और अश्लील बातें करने लगे। सामने एक औरत भी बैठी थी। जैसे–तैसे शालिनी ने अपना सफर पूरा किया। फिर दुबारा कभी वो उस ऑटो वाले के ऑटो में या वो जिस ऑटो या मैजिक में बैठा हो उसमें नहीं बैठी।

ऐसी ही एक घटना शालिनी के साथ तब हुई जब वो रास्ते पर खड़ी मैजिक का इंतजार कर रही थी। उसके पास से दूर्गा विर्सजन के लिए जाते लोगों का एक झुंड गुजरा। उसमें से एक व्यक्ति ने शालिनी से बेहद अश्लील वाक्य बोला। उसके हाथ में तलवार देख वो और भी डर गई। शालिनी के मुताबिक वो सहम गई थी और ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था।

आज शालिनी अकेले कहीं नहीं जाती। वो ऑफिस भी अपनी दोस्त के साथ ही जाती है। शालिनी किसी सार्वजनिक स्थल पर खुद को तमाम लोगों के बीच भी सुरक्षित महसूस नहीं करती।

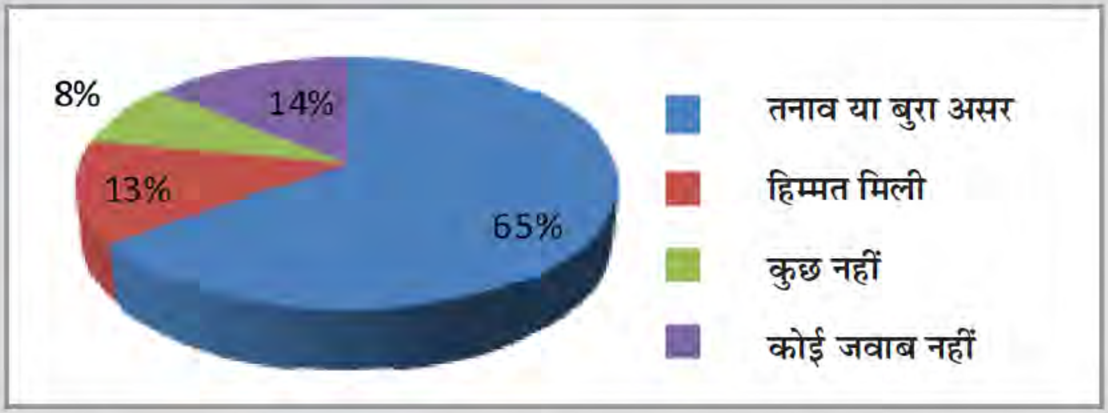

हिंसा की वज़ह–

वज़ह	स्वंय	हिंसाकर्ता	प्रशासन	सामाजिक ढांचा	पुलिस	अन्य	एक से ज्यादा
संख्या	24	210	35	112	7	3	95

112 लड़कियों का सामाजिक ढांचे में हिंसा के कारणों को तलाशना उनके गैरबराबरी पर खड़ी व्यवस्था के विरोध के तौर पर दिखता है। जबकि ज्यादातर महिलाओं का हिंसाकर्ता को हिंसा की वज़ह मानना उस धारणा को मजबूत करता है कि हिंसा दरअसल कुछ तथाकथित बुरे पुरुष ही करते हैं। ये विचारधारा हिंसा को गैरबराबरी पर खड़ी व्यवस्था में नहीं तलाशती।

ज्यादा संख्या में लड़कियों का हिंसाकर्ता को हिंसा की वज़ह मानना। उनके समाजीकरण का परिणाम है। जहां उन्हें तय भूमिकाओं के तहत औरत बनाया जाता है और अप्रत्यक्ष तौर पर आदमी की उस पर हिंसा को सामाजिक रुप से स्थापित किया जाता है। परिणामस्वरुप वर्चस्व की इस राजनीति के तहत वो मानने लगती है कि जो बुरा पुरुष है वो ही हिंसा करता है। अच्छे पुरुष हिंसा नहीं करते। या ये कहे कि उनके द्वारा की गई हिंसा मुख्यधारा में हिंसा के तौर पर देखी ही नहीं जाती। पुलिस और प्रशासन को हिंसा की वज़ह की श्रेणी में लाना स्पष्ट करता है कि व्यवस्था का सुरक्षा तंत्र भी घोर पितृसत्तात्मक है।

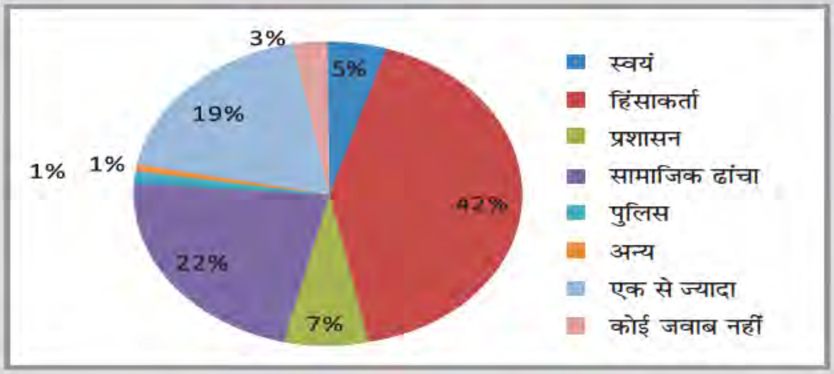

हिंसा पर आवश्यक प्रतिक्रिया-

प्रतिक्रिया	चुप रहना चाहिए	घरवालों को बताना चाहिए	पुलिस के पास जाना	लड़ना चाहिए	अन्य	एक से ज्यादा विकल्प	कोई जवाब नहीं दिया
संख्या	1	151	78	84	12	174	1

बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सामान्यत: पुलिसिया इंतजाम बेहतर किए जाते हैं। लेकिन हम ये तो देख ले कि पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाना कितनी लड़कियां चाहती हैं। मजे की बात है लड़कियां खुद लड़ने में ज्यादा यकीन करती हैं बनिस्बत पुलिस के पास जाने के। उनका कहना है कि पुलिस के पास जाने से परेशानी और बढ़ेगी। उनकी बेइज्ज़ती भी हो सकती है।

इस मामले में वे घर को सबसे ज्यादा महफूज मान रही हैं। इसके दो मतलब हैं। पहला बात बाहर न जाए, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होगी । दूसरा किसी दूसरे पर उन्हें विश्वास नहीं। साफ है लड़कियों की प्रतिक्रिया के लिए सहज माहौल बनाने की जरूरत है।

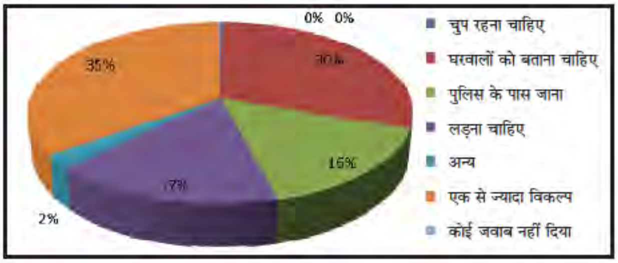

हिंसाकर्ता के साथ कैसा व्यवहार हो–

दिल्ली रेप कांड के बाद लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठे। जिसमें कई तथाकथित महान लोगों ने लड़कियों को ही हद में रहने की नसीहत दे डाली। इसमें एक महानुभाव ने यह भी कहा था कि अगर महिला हिंसाकर्ता को समझाए की वो उसके साथ ऐसी हरकत न करे तो वो मान जाएंगा और समस्या सुलझ जाएगी। कुछ ऐसी ही सोच का अनुभव हमनें अपने अध्ययन में लड़कियों से बात करने के दौरान किया। जहां 22 महिलाएं कह रही थी कि हिंसाकर्ता को समझाया जाए। गौर करने वाली बात है उनके समाजीकरण और तथाकथित आर्दश नैतिक शिक्षा ने उन्हें ये ही सिखाया।

हालांकि 72% लड़कियों का हिंसाकर्ता से सख्ती से पेश आने के पक्ष होना उनके इन घटनाओं के प्रति गुस्से और विरोध को दर्शाता है। ये आंकड़ा बताता है कि वे इस तरह की हिंसा अब हरगिज नहीं झेलेंगी। ये कम से बदलाव की पहली लहर के तौर पर तो देखा ही जा सकता है।

व्यवहार	कुछ नहीं	सख्ती से पेश आना चाहिए	समझाना चाहिए	लड़ना चाहिए	अन्य	एक से ज्यादा	कोई जवाब विकल्प
संख्या	1	358	22	42	7	70	1

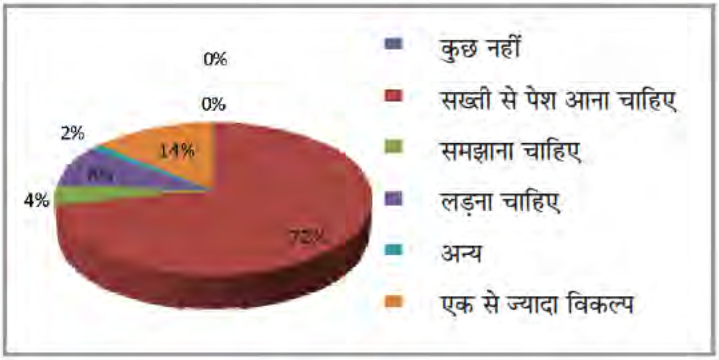

सरकारी प्रयास-

सरकार आए दिन लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दम भर रही है। योजनाएं चलाई जा रही है। जेंडर बजटिंग हो रही हैं। एंटी रेप बिल आ गया है। ऐसा लगता है। अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक इसी समय प्रदेश भर में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। लड़िकयो के साथ दुष्कर्म कर उनकी निर्मम हत्या हो रही है। ऐसे में हमारे अध्ययन में भी लड़कियां यही दोहरा रही हैं। जब उनसे पूछा गया इस तरह की हिंसा के खिलाफ होने वाले सरकारी प्रयास क्या काफी हैं। 64त्न का जवाब नहीं था। ये एक बड़ा प्रतिशत है जो लड़कियों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

प्रसास	हां	नहीं	अन्य	कोई जवाब नहीं
संख्या	152	322	8	19

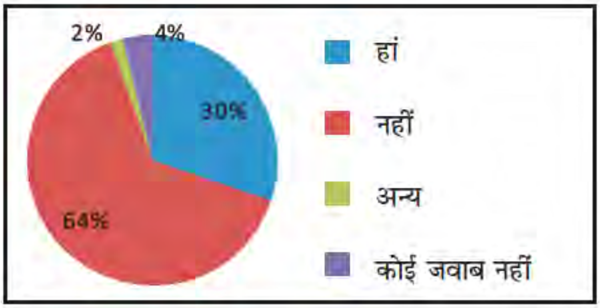

जरुरी सरकारी प्रयास-

दिन ब दिन कानून व्यवस्था व सुरक्षा के इंतजाम मजबूत किए जाने की बात हो रही है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा लड़कियां यही मांग क्यों कर रही हैं। साफ है प्रयास कागजों पर तो हैं। जमीन पर नहीं। अगर होते तो फिर लड़कियां ये जरूरत क्यों महसूस करतीं।

जरुरी प्रयास	सुरक्षा	प्रयास पर्याप्त	मजबूत कानून व्यवस्था	कोई जवाब नहीं	महिला सशक्तिकरण
संख्या	147	10	188	123	33

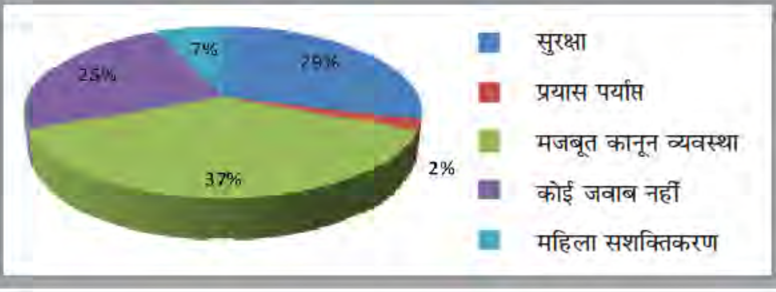

हिंसा की रिपोर्ट–

पुलिस परेशान करती है। उल्टे सवाल पूछती है। मामला बढ़ जाता है। लड़कों का तो कुछ नहीं जाता हमारी ही बेइज्जती होती है। जी हां, कुछ ऐसे ही जवाब थे इस सवाल पर तभी तो 299 लड़कियां इस सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहती कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं। जबकि बड़ी संख्या में लड़कियां साफ स्वीकारती है कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। एक तरह से इसमें ये भी शामिल है कि क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

रिपोर्ट दर्ज करवाई	हां	नहीं	अन्य	कोई जवाब नहीं
संख्या	63	136	3	299

मैं बहुत डरती हूं...

मुझे परेशान करने वाला मेरे दोस्त का भाई है। वो मेरे पड़ोस में ही रहता है और अक्सर मुझे परेशान करता है। अश्लील हरकतें करता है। सड़क चलते मेरा पीछा करता है। किसी न किसी बहाने मुझे छूने की कोशिश करता है। मैंने कई बार उसे मना किया। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मेरा भाई बहुत चिड़चिड़ा है, किसी की नहीं सुनता। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मम्मी से भी कुछ नहीं कह पा रही डर लगता है कहीं पापा को बताकर मेरी पढ़ाई न छुड़वा दें। वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। मैं उस लड़के से अब बहुत डरती हूं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं।

नेहा

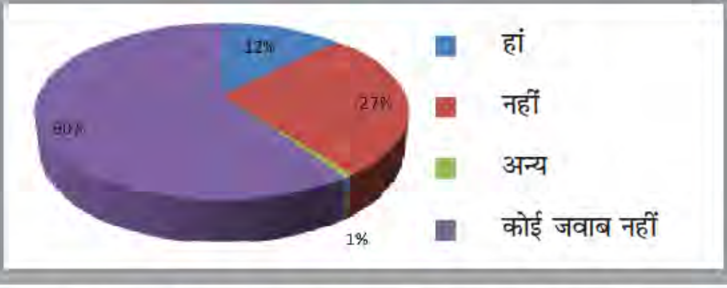

साफ तौर पर बड़ी संख्या में लड़कियों की चुप्पी और रिपोर्ट न दर्ज करवाना यह दर्शाता है कि वे पुलिस व उसकी कार्यवाही से दूर रहना चाहती हैं। इसके पर्याप्त कारण भी हैं। जो नीचे की तालिका से स्पष्ट हैं-

नहीं लिखाई तो क्यों	
वज़ह	संख्या
जरुरत नहीं पड़ी	42
बदनामी के डर से	49
पुलिस कुछ नहीं करती	16
खुद सुलझाई	25
कोई जवाब नहीं दिया	4

हिंसा के बारे में इन्हें बताया-

जिन्हें बताया	माता पिता	भाई बहन	दोस्त	रिश्तेदार	किसी को नहीं	पुलिस	अन्य	एक से ज्यादा विकल्प	कोई जवाब नहीं
संख्या	124	32	130	18	101	8	19	34	35

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि यहां भी लड़कियां दोस्ती के रिश्ते में सबसे ज्यादा सहज हैं। तभी तो अपने साथ हुई हिंसक घटना को भी वो दोस्तों से ही साझा करना पसंद करती हैं। लेकिन यहां परिवार की भूमिका बदलती दिख रही है। अपेक्षाकृत लड़कियां यहां अपने साथ होने वाली घटनाओं को परिवार से साझा कर रही है। ये अंतर ये तो दिखाता है कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू तो हुई है। उन्हें परिवार के बीच बोलने की खुद को अभिव्यक्त करने की जगह मिल रही है।

जिन्हें बताया उनकी प्रतिक्रिया–

प्रतिक्रिया	ध्यान मत दो	साथ दिया व आत्मविश्वास बढाया	नकारात्मक	कोई प्रतिक्रिया नहीं
संख्या	35	230	39	61

ये एक बहुत सुखद आंकड़ा है। जिसमें लड़कियां कहती है कि तकलीफ साझा करने वाले ने उनका साथ दिया व आत्मविश्वास बढ़ाया। हालांकि अमूमन देखने में आता है कि ऐसी घटना होने पर परिवार वाले या तो लड़की पर ही बंधन बढ़ा देते हैं या गुस्सा करते हैं। बहुत हुआ तो उसे इस तरह की घटनाओं पर ध्यान न देने की बात कही जाती है।

यही वजह है कि लड़कियां इसी डर से दोस्तों से ये घटनाएं साझा करती हैं। क्योंकि यहां कम से कम उन्हें उल्टा प्रताड़ित किए जाने का डर नहीं होता। इसीलिए सकारात्मक आंकड़ा ज्यादा भी है। इसका सबक ये भी है कि यदि रिश्तों में सहजता व पारदर्शिता हो तो लड़कियां खुल कर ऐसी घटनाओं का विरोध कर पाएंगी।

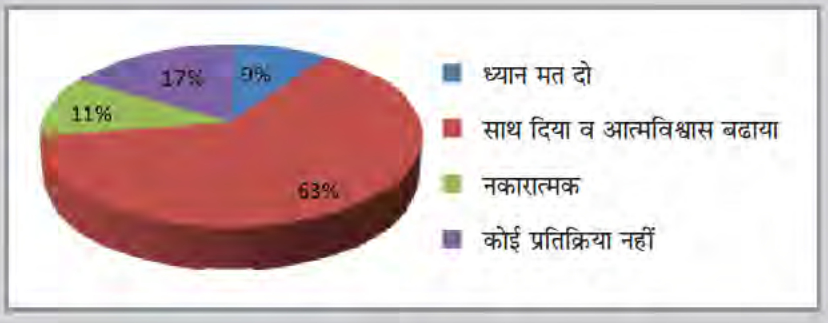

1090–

जानकारी	हां	नहीं	कोई जवाब नहीं
संख्या	336	149	16

तत्वरित सहायता के नाम पर मध्य प्रदेश में पिछले दिनों 1090 नंबर से महिला हेल्पलाइन शुरु की गई। जोर–शोर से इसका विज्ञापन भी खूब हुआ। यही वज़ह है कि लड़कियों का बड़ा प्रतिशत इसके बारे में जानता भी है। बावजूद इसके बहुत कम लड़कियों ने परेशानी के वक्त इस पर संपर्क करती हैं। उनका ये सोच है कि यहां फोन करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि कुछ होता ही नहीं। कोई जवाब नहीं मिलता।

ये विरोधाभास विश्वसनीयता व व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। जिसके तहत योजनाएं बना तो दी जाती है। लेकिन इनकों लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

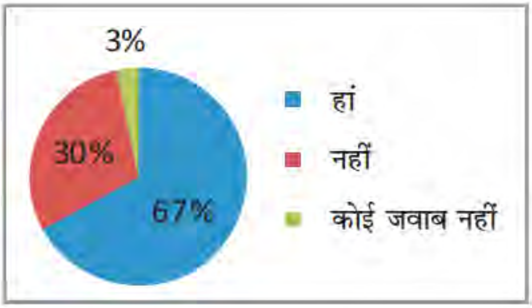

मैंने विरोध करना चाहा। लेकिन मैं डर गई। मुझे लगा बाद में ये लोग मुझे परेशान न करें।

–जाह्नवी

नारीवादी दखल

अध्ययन के दौरान हमनें लड़कियों का पक्ष दो तरह से जानने की कोशशि की। पहला लड़कियों के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं पर उनकी राय। दूसरा उनके साथ होने वाली ऐसी घटनाओं का उनका अपना अनुभव। आश्चर्यजनक तौर पर इनमें काफी फर्क था। जैसे जब उनसे घटना के स्वरुप पर बात की गई तो अपनी राय देते वक्त 36 लड़कियों ने बलात्कार की कोशिश की बात कही। जबकि अपने अनुभव बांटते वक्त सिर्फ 2 लड़कियों ने ये शिकायत की। जब उनसे असुरक्षित समय के विषय पर सवाल पूछा गया तो अपनी साधारण अवधारणा बताते वक्त उन्होंने रात के समय को सबसे असुरक्षित कहा। जबकि अपने अनुभवों में ज्यादातर महिलाओं ने दोपहर के वक्त को सबसे गैरमहफूज़ माना।

ये विरोधाभास वृहद परिपेक्ष्य में हमारी सामाजिक संरचना में रची-बसी स्त्री पुरुष गैरबराबरी को दर्शाता है। जहां औरत कभी स्वंय को पूरा अभिव्यक्त नहीं कर पाती। वो हमेशा अपनी और की तथाकथित इज्ज़त बचाने का प्रयास करते ही खुद को नाप-तौल कर ही अभिव्यक्त कर पाती है। साथ ही इस ओर भी इशारा करता है कि किस तरह स्त्री भी अपने सामाजीकरण की वज़ह से स्वंय को और अपने से जुड़े मुद्दों को पुरुषवादी नज़र से देखने लगती है। इसके चलते वे तमामबार अच्छी लड़की के तौर पर खुद को साबित करने के लिए चुप रहना ही पसंद करती हैं। या वो बोलना ठीक समझती हैं जो उन्हें सिखाया गया।

बड़ी संख्या में लड़कियां पीछा करने की घटना का जिक्र कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात है ज्यादातर लड़कियां इस तरह की हिंसा से मानसिक पीड़ा की शिकार हैं। उनके प्रति होने वाली इस पुरुषवादी हिंसा को अगर हम नारीवाद के खांचे में देखे तो ये सिर्फ शक्ति या मर्दानगी का प्रदर्शन है। जिसके तहत पुरुष ताकत को महसूसना चाहता है। औरत को कमजोर समझते हुए उस पर अपनी तथाकथित मर्दानगी को साबित करने के लिए ऐसा किया जाता है।

एक बनी-बनाई अवधारणा के तहत लड़कियों से ऐसा बोला जाता है कि रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए खतरा रहता है। फिर ये आंकड़े दोपहर के वक्त को, भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे सार्वजनिक स्थल, रास्ते- चौराहे व बस को असुरक्षित क्यों बता रहे हैं। साफ है हमें रात के अंधेरे और सन्नाटी जगह को ही असुरक्षित मानते रहने की समझ से बाहर निकलना होगा। कोई स्थान महफूज नहीं। खासकर भीड़भाड़ वाली जगह और दोपहर का वक्त तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं। इसमें भी सार्वजनिक स्थानों में एमपी नगर का सबसे ज्यादा असुरक्षित होना बड़ा सवाल है। ध्यान देने वाली बात है ये इलाका पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ विकसित हुआ। साथ ही हर तबके के लोग यहां आ रहे हैं। हांस्टलर्स जिसमें लड़के व लड़कियां सभी यहां आ रहे हैं। जो फिर एक बार इस बात को पक्का कर रहा है कि सार्वजिनक स्थानों पर पुरुष अपरिचित के साथ हिंसा करता है।

हिंसाकर्ता से रिश्ते के सवाल पर राय देते वक्त एक भी लड़कियां प्रेमी को हिंसाकर्ता नहीं बताती। लेकिन अपने साथ घटी हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कई महिलाएं प्रेमी के झांसा देकर धोखा देने की बात कहती हैं। यहां समाजीकरण का असर है जिसके तहत प्राय रिश्ते निभाने की

जिम्मेदारी औरत की ही होती है। साथ ही करीबी रिश्तों में हिंसा को जायज़ माना जाता है।

ज्यादातर हिंसाकर्ता 20 की उम्र से ऊपर का है और फिर 25 व 35 की उम्र व इससे अधिक की उम्र वाले हिंसाकर्ताओं की संख्या आधे से भी ज्यादा है। जो अपने आपमें इस मिथक को तोड़ता है कि हिंसा तो किसी कम उम्र के लड़के की नादानी है। इन आंकड़ों के आधार पर यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया शोषण है।

85% प्रतिशत लड़कियां प्रत्यक्ष रुप से ये स्वीकार कर पा रही हैं कि उनके साथ हिंसा हुई। बड़ी बात है। बाकी की 15% लड़कियां आगे चलकर अप्रत्यक्ष रुप से हिंसा की घटना को स्वीकार रही हैं। इतना ही नहीं इस हिंसा के जवाब में 501 में से 306 लड़कियां प्रतिक्रया दे रही हैं। इसमें भी 232 तत्काल प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसके बावजूद 143 लड़कियां किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहीं चिंता का विषय है।

लड़कियां इस तरह की हिंसक घटनाओं को अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा बांट पा रही हैं। स्पष्ट है इस रिश्ते में उन्हें दूसरे रिश्तों की अपेक्षा ज्यादा आजादी मिल रही है। तो क्या जरुरत नहीं है कि माता–पिता और परिवार के दूसरे रिश्तों के बीच उन्हें दोस्ताना माहौल मिले।

65 % कह रहा है कि वे अपने साथ घटी घटना के निशान अपने दिल दिमाग से मिटा नहीं पाईं और आज भी उन्हें वो तकलीफ सालती है। इसकी वज़ह से उनके गतिशीलता औऱ् स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ा है। दुखद है, सबसे ज्यादा लड़कियां हिंसा की वज़ह हिंसाकर्ता को मानती हैं गैरबराबरी पर खड़ी व्यवस्था को नहीं। मसलन, कुछ ख़ास तरह के लोग ही हिंसा करते हैं। इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात तो ये है कि कई लड़कियां अपने हुई हिंसा का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। ये उन्हें उनके सामाजीकरण ने सिखाया जिसने उन्हें औरत बनाया।

लड़कियों के अनुसार सरकारी प्रयास नाकाफी हैं। पुलिस व प्रशासन पर ज्यादातर को बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्हें लगता है कि उनके पास जाने पर वे उल्टा परेशान ही होंगी। आंकड़े कहते हैं 501 लड़कियों में सिर्फ 63 लड़कियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहीं। बाकी की लड़कियों ने या तो रिपोर्ट लिखवाई नहीं या फिर वे इस सवाल पर ही खामोश हैं। वे सरकार से

मजबूत कानून व्यवस्था, सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण चाहती हैं।

संक्षेप में गैरबराबरी पर खड़ी व्यवस्था में पुरुषवादी हिंसा को भले ही औरत ठीक से समझ न पा रही हो। लेकिन अपने इर्द–गिर्द के घोर पितृसत्तात्मक ताने–बाने की बुनावट को वो अब खोलना चाहती है। समझना चाहती है। जरुरत है एक सोची–समझी रणनीति के तहत उसे सहयोग करने की।

अध्ययन के आधार पर सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में हमें शहर में लड़कियों के साथ होने वाले यौनिक शोषण का सच दिखता है। जिससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी सुरक्षा व सशक्तिकरण के प्रयास पर्याप्त नहीं इस ओर एक तय रणनीति के तहत काम करने की जरुरत है। इस संदर्भ में हम इन बिंदुओं पर काम करने की जरुरत महसूस कर रहे हैं–

- लड़कियों के साथ उनके स्कूल–कॉलेज में जेंडर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके द्वारा हमारा मकसद बड़ी संख्या में लड़कियों तक पहुंचना है। जिसमें उन्हें उनके अधिकारों व समाज में व्याप्त स्त्री–पुरुष गैरबराबरी के बारे में जानकारी दी जाएं। ट्रेनिंग नारीवादी नज़रिए से दी जाएं। इसके लिए ट्रेनिंग टीम में नारीवादी अवश्य शामिल किए जाएं।
- लड़कियों के साथ–साथ लड़कों के साथ काम करने की बड़ी जरुरत है। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि लड़के लड़कियों के साथ में काम किया जाए। जेंडर संवेदनीकरण की ज्यादा जरुरत लड़कों को है। वे लड़कियों को अपने साथी के तौर पर देखें न की वस्तु के रुप में।
- वयस्कों के साथ भी जेंडर के मुद्दें पर काम किया जाना जरुरी हैं। अध्ययन में बड़ी संख्या में हिंसाकर्ता इसी आयु वर्ग से है। इनके साथ काम करने के लिए सरकारी दफ्तरों, शिक्षकों व निजी दफ्तरों में भी जेंडर ट्रेनिंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वयस्कों का ऐसा वर्ग जो इन जगहों पर नहीं है। उनके साथ काम करने के

लिए समूह बनाकर शहर की कॉलोनियों, बस्तियों व गांवों में काम करने की जरुरत है।

- पुलिस की नारीवादी तरीके से जेंडर ट्रेंनिग बहुत जरुरी है। बड़ी संख्या में लड़कियां यहां शिकायत करने से डर रही हैं। उनका कहना है पुलिस में जाना से उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। इस डर को खत्म करने के लिए जरुरी है कि पुलिस संवेदनशील हो।
- हेल्प लाइन को लेकर लड़कियों का जानते हुए भी दुर्घटना के वक्त वहां संपर्क न करना शिकायतों पर त्वरित व उचित कार्यवाही की जरुरत की बात सामने लाता है।
- मोबाइल पर परेशान किए जाने की शिकायत पर मोबाइल कंपनियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस नंबर को ब्लॉक किया जाए और उस व्यक्ति के नाम पर दुबार सिम न उपलब्ध कराया जाए।
- शहर की सन्नाटी जगहों के साथ–साथ भीड़–भाड़ वाले स्थान पर भी पुलिस की व्यस्था हो। यह पुलिस केवल लड़कियों या महिलाओं की शिकायतों पर ही नहीं बल्कि अपने अवलोकन के आधार भी यौन शोषण के मामलों को संज्ञान में ले।
- परिवार के साथ जेंडर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जिसमें माता–पिता को बच्चों के सामाजीकरण को लेकर जागरुक किए जाने की जरुरत है। जिसके तहत लड़के–लड़कियों का पालन–पोषण पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर किया जाए। परिवार को इकाई मानते हुए विकास में उसकी सहभागिता निश्चित करनी होगी।
- बड़ी संख्या में महिलाएं मानसिक पीड़ा से गुज़र रही हैं। इस हेतु उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरुरत है। वर्तमान में न इसे समस्या के तौर पर देखा जा रहा है न ही इसे लेकर कोई गंभीरता है।
- हिंसाकर्ता को बदलाव की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए।

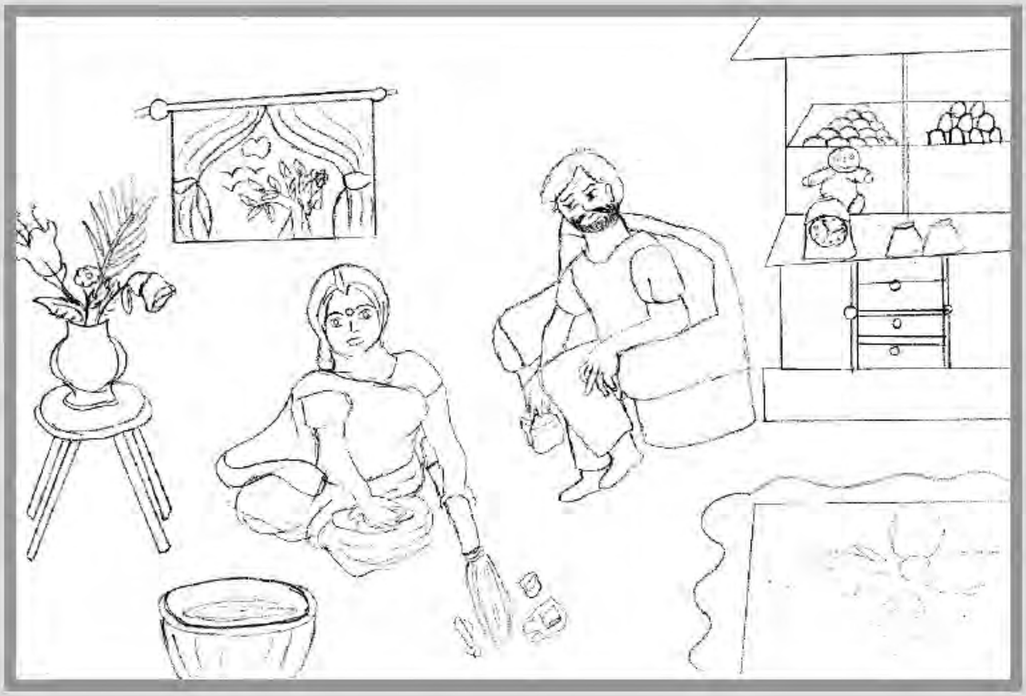

भविष्य में लड़कियों के साथ काम हेतु रणनीति

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर संगिनी इस दिशा में काम करने के लिए तत्पर है। इस हेतु वर्तमान में हम प्रस्तुत रणनीति पर पहुंचे हैं। जिसके तहत हम दो स्तर पर काम करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

फील्ड में लड़के.लड़कियों व परिवारों के साथ

सरकारी तंत्र व शिक्षण संस्थाओं के साथ

- पहले स्तर पर अलग.अलग क्षेत्रवार समूह बनाकर परिवारों के साथ समूह चर्चा या साप्ताहिक चौपाल की मदद से उनसे बात की जा सकती है।
- फील्ड में तैयार समूहों के साथ निरंतर बैठक करने के लिए समय.समय पर विभिन्न

सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। इनका नारीवादी नज़रिए से आयोजन आवश्यक है।

- इन बैठकों में फिल्मों व कहानियों के माध्यम से लोगों से बात की जा सकती है। इसमें एक जगह पर लड़के व लड़कियां स्वंय को अभिव्यक्त कर पाएंगे। वे एक साथ बैठकर जेंडर ट्रेनिंग लेंगे। सवाल पूछेंगे। आपस की हिचक कम होगी। अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों से ही तथाकथित बौद्धिक बहस करने वाले व स्त्रियों को इस बहस से बाहर समझने वाले पुरुष उनके साथ तमाम मुद्दों पर आमने.सामने बात कर करने का मौका मिलेगा। उनके मुद्दों को समूह में समझने का मौका मिलेगा।
- राज्य सरकार के साथ मिलकर इस संबंध में सरकारी दफ्तरोंए शिक्षण संस्थानोंए अस्पतालोंए पुलिस थानों की जेंडर ट्रेनिंग की जा सकती है। जिसके तहत भाषा से लेकर देह भाषाए स्त्री के प्रति दृष्टिकोणए व्यवहार सभी पहलुओं पर काम किया जा सकता है।
- निजी स्कूल.कॉलजों के साथ तय रणनिति के तहत वर्कशॉपए सेमिनार या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मदद से मुद्दे को रखा जा सकता है। उनके कोर्स के तहत जेंडर पर एक पर्चा रखा जा सकता है। जिसे कक्षा के अनुसार रचनात्मक तरह से डिजाइन कर सकते हैं।
- बस्तियों में लड़कियों के साथ संगिनी के काम को गांव तक ले जाने की कोशिश होगी। यहां समूह बनाकर इन्हें इनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने की तैयारी है। साथ ही इन इलाकों के लड़कों के साथ भी काम करने की जरुरत है।
- इस पूरे कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए एक टीम बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में अपनी रपट प्रस्तुत करेगी। हर बार रपट के आधार पर कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा।

हमारे बारे में...

संगिनी महिलाओं का एक संदर्भ समूह है। जो स्त्री पराधीनता की वज़ह सामाजिक बुनावट में तलाशता है। इसके लिए जिम्मेदार पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जाति, वर्ग और जेंडर के फ्रेम में देखता है। इस दौरान संस्था की नज़र नारीवादी है और सोच महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक परिस्थितियां तैयार करना है। हम उस यूटोपियन समाज की कल्पना में विश्वास रखते हैं जहां स्त्री-पुरुष बराबरी पर समाज की नींव रखी जाएगी। इस हेतु हमारा उद्देश्य महिलाओं के साथ लिंग भेद के खिलाफ समाज में व्यापक जागरुकता पैदा करना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए जीवन व विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

Towards Gender Equity

संगिनी जेंडर रिसोर्स सेन्टर

जी.-3/385 गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल
स्थायी पता- 113, वायसराय पार्क, ई- 8 एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल